

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024—ज्येष्ठ 24, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्र. ई-5-870-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल को दिनांक 13 से 21 मई 2024 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 12 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी

लिमिटेड, मुंबई को अस्थायी रूप से उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अविनाश लवानिया द्वारा अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत कुमार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

2667

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. ई-1-133-2023-5-एक.— भारत सरकार, मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 10-5-2023-EO(SM-1), दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के अनुक्रम में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003), आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग के तहत Development Commissioner (JS Level) Santa Cruz Exclusive Export Processing Zone (SEEPZ), Special Economic Zone, Mumbai के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

क्र. ई-5-1106-आयएएस-लीव-5-एक.— (1) श्री दिव्यांक सिंह, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, जिला इन्दौर को दिनांक 20 से 30 मई 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिव्यांक सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दिव्यांक सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिव्यांक सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

(5) जिला इन्दौर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-2024 संसदीय क्षेत्र में दिनांक 13 मई, 2024 को मतदान है, उक्त निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान होने की स्थिति में आपका अवकाश स्वयं निरस्त माना जावेगा।

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र. ई-5-1170-आयएएस-लीव-5-एक.— (1) श्री विवेक के. व्ही. (भाप्रसे-2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट का दिनांक 1 से 12 जुलाई 2024 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 29, 30 जून 2024 एवं 13, 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक के. व्ही. (भाप्रसे-2020), को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक के. व्ही. (भाप्रसे-2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक के. व्ही. (भाप्रसे-2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर, जिला बालाघाट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 मई 2024

क्र. ई-5-720-आयएएस-लीव-5-एक.— (1) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफको तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 18 से 26 मई 2024 तक Fabrum Solution Limited New Zealand की Christchurch में स्थापित संयंत्र का निरीक्षण/अवलोकन करने हेतु न्यूजीलैंड एवं आस्ट्रेलिया में कृतिम गर्भाधारण, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक तथा डेयरी क्षेत्र की गतिविधियों के निरीक्षण/अवलोकन करने हेतु अध्ययन दल के साथ सदस्य के रूप में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 30 मई 2024 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एफको तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-887-आयएएस-लीव-5-एक.— (1) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का दिनांक 15 से 31 मई 2024 तक, सत्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 1, 2 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की अवकाश अवधि में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अस्थायी रूप से उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1013-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे (2015), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल का दिनांक 20 से 24 मई 2024 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 18, 19 एवं 25, 26 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु चन्द्र, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2024

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के दिनांक 6 से 22 मई 2024 तक, सत्रह दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 4, 5 एवं 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में उनका प्रभार विभागीय आदेश क्रमांक ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक, दिनांक 30 अप्रैल 2024 द्वारा श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा गया था।

(2) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के दिनांक 13 से 21 मई 2024 तक, नौ दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 10, 11 एवं 12 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का प्रभार विभागीय आदेश क्रमांक ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक, दिनांक 9 मई 2014 द्वारा श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा गया था।

(3) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई के दिनांक 21 मई से 7 जून 2024 तक, कुल अठारह दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 8, 9 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की

अवकाश अवधि में आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का प्रभार डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसिंस लिमिटेड तथा अपर आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-1111-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तपस्या परिहार, भाप्रसे (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर का दिनांक 10 से 14 जून 2024 तक, पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8, 9 एवं 15, 16, 17 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तपस्या परिहार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती तपस्या परिहार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तपस्या परिहार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2024

क्र. ई-5-913-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का दिनांक 6 से 14 जून 2024 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 15, 16, 17 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 10 जून से 12 जुलाई 2024 तक, तैतीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 8, 9 जून एवं 13, 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 मई 2024

क्र. ई-5-632-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) के दिनांक 1 से 12 जुलाई 2024 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 29, 30 जून एवं 13, 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2024

क्र. 1245-2056450-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (सायबर), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 7 जून 2024 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1-2 व 8-9 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में पारिवारिक कारणों से थार्ड्लैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, के अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (सायबर), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य प्रभार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.टी.एफ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (सायबर), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओ. पी. श्रीवास्तव, सचिव।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2024

क्र. एफ 1(ए) 93-2002-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 31 मई से 7 जून 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 8-9 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत ऊटी (तमिलनाडु) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्रीमती दीपिका सूरी | — | स्वयं |
| 2. सुश्री आमिया | — | पुत्री |
| 3. सुश्री आलिया | — | पुत्री |
| 4. श्री अमय | — | पुत्र |

(2) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्र. एफ 1(ए) 109-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एसआईएसएफ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून 2024 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 15-17 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत लद्दाख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | | |
|----|-------------------------|---|-------|
| 1. | श्री विजय कुमार भागवानी | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती मंजु भागवानी | — | पत्नी |
| 3. | श्री गौरिश भागवानी | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एसआईएसएफ), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार भागवानी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 मई 2024

क्र. 1212-2012090-2024-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल को दिनांक 15 से 31 मई 2024 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में यूरोपीय संघ की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2024

क्र. एफ 1(ए) 24-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री विवेक सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 7 जून 2024 से 19 जून 2024 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------|
| 1. | श्री विवेक सिंह | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती नुपुर सिंह | — | पत्नी |
| 3. | सुश्री मुदिता सिंह | — | पुत्री |
| 4. | श्री अभिवद्य सिंह | — | पुत्र |

(2) श्री विवेक सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा का चालू कार्य श्री अनिल सोनकर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक (शहर), जिला रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 20 से 24 मई 2024 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 5 जून 2024

क्र. एफ 1(ए) 24-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला नर्मदापुरम को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 21 से 30 जून 2024 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत चंडीगढ़ (पंजाब) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री गुरूकरण सिंह	—	स्वयं
2. श्रीमती गगनदीप कौर	—	पत्नी
3. मास्टर अधिराज सिंह	—	पुत्र
4. कु. अरजोयी	—	पुत्री

(2) श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला नर्मदापुरम का चालू कार्य श्री आशुतोष मिश्र, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला नर्मदापुरम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुरूकरण सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 70-2020-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 23 मई से 1 जून 2024 तक, दस दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर का चालू कार्य श्री विनोद मीना, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-1, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ऋषिकेश मीना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 85-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री अंशुमान सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (का.ब्य. एवं सुरक्षा/एएनओ), पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 14 से 21 जून 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 व 23 जून 2024 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री अंशुमान सिंह	—	स्वयं
2. श्रीमती उपमा सिंह	—	पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (का.ब्य. एवं सुरक्षा/एएनओ), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुमान सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2024

क्र. एफ 1(ए) 19-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री विनीत खन्ना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 21 जून 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 22-23 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गुलमर्ग-सोनमर्ग (श्रीनगर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री विनीत खन्ना — स्वयं
2. श्रीमती हिमानी खन्ना — पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत खन्ना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत खन्ना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत खन्ना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 213-1996-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 27 से 30 मई 2024 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश अवधि में पहलगाम, श्रीनगर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री जयदीप प्रसाद — स्वयं
2. श्रीमती भारती प्रसाद — पत्नी
3. श्री यशदीप प्रसाद — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2024

क्र. 2235-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री उत्तम कुमार, डार्वी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिण्डौरी का स्थानान्तरण प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 3 जून 2024

पंजी. क्र. 2254-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, जिला न्यायाधीश (Inspection), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर जौन, जबलपुर के पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव आटे का स्थानान्तरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ में श्री राजीव कुमार कुर्महे के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2024

क्र. 681-1887816-2024-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर एवं सुलहकर्ता को संदर्भित, अध्यक्ष, ओ.पी. मिल्स लेबर यूनियन, अमलाई, जिला शहडोल के मध्य औद्योगिक विवाद क्रमांक 01-एम.पी.आई.आर.-2023 में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक मामले के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ :—

“अनुसूची”

‘औद्योगिक विवाद क्रमांक 01-एम.पी.आई.आर.-2023’

No. 681-1887816-2024-ए-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby notifies that no settlement was arrived at in the Industrial Dispute No. 1-MPIR-2023 between President, O.P. Mills, Labour Union, Amlai, District Shahdol and Factory Manager, Orient Paper Mills, Amlai, District Shahdol in regard to the industrial matter included there in and specified in the schedule below referred to Deputy Labour Commissioner, Labour Commissioner Office, Madhya Pradesh, Indore and conciliator :—

“SCHEDULE”

“Industrial Dispute No. 01-MPIR-2023”

परिशिष्ट-एक

क्रमांक 679/1887816/2024/ए-16, चूंकि आवेदक यूनियन ओ.पी.मिल्स लेबर यूनियन, अमलाई जिला शहडोल विरुद्ध कारखाना प्रबंधक, ओरियन्ट पेपर मिल्स अमलाई जिला शहडोल के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है।

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त विवाद को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर को पंचनिर्णयार्थ सन्दर्भित करता है:-

अनुसूची

1. क्या संस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को अकुशल, अर्द्धकुशल व उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी स्थाई श्रमिकों के समान श्रेणी के अनुसार एक मुश्त वृद्धि की जाना वैध एवं उचित है? यदि तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

- 2.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960 को आधार मानते हुए स्थाई श्रमिकों के समान भुगतान किये जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 3.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को तिमाही औसत (सूचकांक) पर स्थाई श्रमिकों के समान भुगतान किये जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 4.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान उत्पादन बोनस दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 5.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 6.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान वार्षिक बोनस 20 प्रतिशत (वार्षिक मजदूरी का) तथा जिन संविदा श्रमिकों को न्यूनतम बोनस भुगतान हो रहा है को भी बोनस 20 प्रतिशत दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 7.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान आकस्मिक, अर्जित एवं राष्ट्रीय तथा त्यौहारी अवकाश दिये जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 8.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान गुड,नारियल तेल,साबुन,पोषाक,जूता एवं हजार्ड,डस्ट,केमिकल अलाउन्स प्रतिमाह व रात्री पाली भत्ता,शिक्षण भत्ता तथा कॉपी (बच्चों के लिए) दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 9.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान आवासीय सुविधा में क्वार्टर तथा जिन संविदा श्रमिकों को क्वार्टर की सुविधा नहीं है को आवासीय भत्ता, स्थाई श्रमिकों के समान दिया जाना एवं क्वार्टर की पुताई कराया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 10.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान बिजली खपत छूट एवं अन्य सभी सुविधाएं दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 11.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान केन्टिन की सुविधा, क्योंकि अभी तक नाश्ता, चाय व भोजन से वंचित है लागू किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
- 12.क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों जो मध्यप्रदेश आदर्श स्थाई आदेश के अनुसार को वर्ष में 240 दिन कार्य कर लिया है को कंपनी के नियोजन मे स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

13. क्या संस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को नियोजन पत्रक, हाजरी कार्ड, वेतन पर्ची, केन्टिन आवासीय सुविधा, समान काम का समान वेतन व सुविधा, स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
14. क्या संस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को संविदा श्रमिक अधिनियम (विनियमन एवं समाप्ति) 1970 मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 25 का अक्षरशः पालन करते हुये संविदा श्रमिकों को समान कार्य का समान वेतन व सुविधा दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
15. क्या संस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को संविदा श्रमिक अधिनियम (विनियमन एवं समाप्ति) 1970 मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 25 के अनुसार श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी संविदा श्रमिकों के लिये सेवा शर्तें निर्धारित किये जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
16. क्या संस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
17. क्या संस्थान में कार्यरत आउट सोसिंग व परचेजिंग तथा अन्य नामों से कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
18. क्या संस्थान में ठेका प्रथा समाप्त किये जाने एवं प्लांट के जिन-जिन विभागों में संविदा श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है ऐसे सभी संविदा श्रमिकों को स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
19. क्या संस्थान में कार्यरत ठेकेदारों द्वारा संविदा श्रमिकों के ई.एस.आई.सी. एवं ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती करना बावजूद इसके जमा नहीं करना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
20. क्या संस्थान में कार्यरत संविदा श्रमिकों का ई.एस.आई.सी. एवं ई.पी.एफ. अंशदान ओरियंट पेपर मिल या कंपनी के कोड व ट्रस्ट स्थाई श्रमिकों के समान जमा कराये जाने एवं विवरण पत्र दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
21. क्या संस्थान में कार्यरत संविदा श्रमिकों को बम्बू (रा मटेरियल), चीपर हाउस, पल्प मिल, केन्टिन, फायर सर्विस, गैरेज, पावर हाउस, कटर सेक्शन, पेपर गोडाउन, स्टोर, वर्कशाप (इलेक्ट्रीकल) आफिस बाय, टाईम आफिस सप्लाई, सुरक्षा, एरिया नं.10,11,12 व 36 तथा प्लान्टेशन, क्लब, गेस्ट हाउस, गौसाला, मिस्टचेम्बर, सिविल सहित सभी विभागों के कर्मचारियों को स्थाई किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
22. क्या संस्थान में कार्यरत संविदा श्रमिकों को पीस रेट से अधिक कार्य लिये जाने पर निर्धारित मजदूरी का दुगुनी दर से मजदूरी भुगतान करते हुए ई.पी.एफ. अंशदान की कटौती व उत्पादन का भुगतान किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

23. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या स्थाई अपंगता होने पर स्थाई श्रमिकों के समान कानूनी देय के अतिरिक्त सहायता राशि, बच्चों की शिक्षण सहायता व अन्य लाभ देते हुये कंपनी के नियोजन में स्थाई सेवा में नियुक्त किया जाना, स्थाई श्रमिकों के समान गंभीर बीमारी में स्वस्थ होने तक एक माह की मजदूरी के बराबर सहायता के रूप में दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
24. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान उपादान (ग्रेच्यूटी), दिया जाना एवं जिन श्रमिकों को उपादान भुगतान नही हुआ है उन्हें ब्याज सहित उपादान भुगतान दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
25. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों से आठ घंटे से अधिक कार्य लिये जाने पर मजदूरी की दुगुनी दर से व राष्ट्रीय एवं त्यौहारिक अवकाश के दिन कार्य लिये जाने पर स्थाई आदेश के अनुसार मजदूरी भुगतान किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
26. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को कैजुअल, बदली प्रोवेशन, स्थाई, पीस रेटेड, सुरक्षा, फायर सुरक्षा, फायर सर्विस एवं ट्रेनी श्रमिक कर्मचारियों के लिए मजदूरी व वेतन तथा वेतनमान में नया पुराना के नाम पर समझौतों के द्वारा अंतर कर दिया गया है, अंतर राशि का एरियर्स सहित भुगतान, तथा ऐसे सभी स्थाई श्रमिकों को जो पुराने है किसी भी श्रेणी में हो को समझौते के द्वारा अतिरिक्त वेतन वृद्धि (एस.आर.) दिया जा रहा है को एस.आर. की राशि वेतनमान में समायोजित करते हुए श्रेणी के वेतनमान का वार्षिक वेतन वृद्धि देते हुये एरियर्स सहित भुगतान दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
27. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को जो पुराने एवं किसी भी श्रेणी के हो को समझौते के द्वारा एस.आर. की राशि वेतनमान में समायोजित करते हुये वेतनमान की वार्षिक वेतन वृद्धि एरियर सहित दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
28. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को वेतनवृद्धि दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
29. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का मूल वेतन में समायोजन किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए?
30. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि, श्रेणीयों एवं वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
31. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि, सेवालाभ दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

32. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को फिटनेश किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
33. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को पदोन्नत किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
34. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को उत्पादन बोनस दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
35. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को अवकाश यात्रा भत्ता दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
36. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को देश भ्रमण भत्ता दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
37. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को रात्री पाली भत्ता दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
38. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को वेनुलेण्ट फण्ड योजना के तहत समस्त सुविधा दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
39. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को कारखाने में कार्य के दौरान ऐसे श्रमिक/कर्मचारी जो ई.एस.आई. योजना की परिधि के बाहर हो गये हैं का दुर्घटना से मृत्यु या स्थाई अपंगता होने पर सहायता अनुग्रह राशि (समझौते के द्वारा) के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार क्षतिपूर्ति दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
40. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को जो ई.एस.आई. योजना से बाहर है या हो जाते हैं ऐसी स्थिति में मुफ्त चिकित्सा, बीमारी अवकाश वर्ष में 45 दिन संवैतनिक व गंभीर में स्वस्थ होने तक पूर्ण मजदूरी तथा सभी लाभ दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
41. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को सभी कैजुअल बदली को स्थाई किया जाना तथा कैजुअल श्रमिक को भी वेतन वृद्धि दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
42. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को कैंन्टिन में सस्ते दर पर अच्छे क्वालिटी की चाय नाश्ता तथा शाम का भोजन सभी को दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
43. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को किसी भी प्लांट को बंद करने से तीन माह पूर्व सभी यूनियनों को सूचित करते हुए डिस्कशन एवं सहमति बिना प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय पर रोक लगाया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
44. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को महामारी गंभीर बीमारी कोराना व फंगर जैसे आदि बीमारी से ग्रसित होने पर मुफ्त इलाज करवाते हुए तथा परिवार को इस अवधि में आवश्यक सभी सामान उपलब्ध करवाया जाय तथा जो भी श्रमिक प्रभावित हुए हैं प्रभावित होंगे, स्वस्थ होने तक की पूर्ण मजदूरी सहित अवकाश एवं सभी सुविधाएं दी जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
45. क्या संस्थान मे कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को महामारी गंभीर बीमारी कोराना व फंगर जैसे आदि बीमारी पर मृत्यु हो जाने पर ई.एस.आई.सी. से बाहर या व्याप्त नही किया है के आश्रितों को ई.एस.आई.सी. की तरह कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु मानते हुए क्षतिपूर्ति मजदूरी आश्रितों को भुगतान किया जा रहा है इसी प्रकार से आश्रितों को क्षतिपूर्ति मजदूरी भुगतान दिया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?

46. क्या सस्थान में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को (ठेका या कंपनी रोल) का ई.एस.आई.सी. परिधि में रहते हुए कोरोना महामारी या फंगस महामारी से मृत्यु हुआ है ऐसे श्रमिक/कर्मचारियों को कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु या अस्थाई अपंगता में कानूनी देय के अतिरिक्त सहायता राशि रु. 5,00,000/- (पांच लाख) दिये जाने तथा आश्रित को स्थाई योजना में नियुक्त किया जाना वैध एवं उचित है? यदि हाँ तो इसकी क्या योजना होना चाहिए ?
एवं उक्त मांग पत्र के संबंध में सेवानियोजकगण को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 6-47-2022-सात-3,

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/सात-3, दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है:-

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
01	103	9670
02	100	4540

परिशिष्ट-01

क्रमांक	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कॉलम नंबर 03 के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में)	चर्तुसीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	103	9670	183.50	उत्तर - मिलिंद अग्रवाल का घर दक्षिण - विजय आसवानी का मकान पूर्व - इश डंग का मकान पश्चिम - सड़क
02	100	4540	1036.80	उत्तर - प्रभात साबू का घर दक्षिण - सड़क पूर्व - सड़क पश्चिम - साधवानी का घर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 710-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
 (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- उचेहरा
 (ग) नगर /ग्राम - भिटारी
 (घ) क्षेत्रफल- 2.518 हे०

क्र.	खसरा न०	प्रस्तावित रकबा (हे.में.)
1	3	5
1	63/1	0.042
2	63/2	0.154
3	62/1/1	0.001
4	65/2	0.001
5	64/1	0.255
6	64/2	0.127
7	66	0.011
8	54	0.137
9	50/1	0.341
10	49/1	0.005
11	49/2	0.027
12	95	0.001
13	96/1	0.130
14	96/2	0.030
15	97/1/2	0.117
16	97/2	0.144
17	103	0.041
18	104/1	0.157
19	104/2/2	0.049
20	105/1/2/1	0.045
21	105/1/2/3	0.045
22	105/1/3	0.050
23	105/1/4	0.050

24	105/2	0.160
25	105/3/2	0.109
26	114/1/1	0.149
27	114/2	0.140
योग—		2.518

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 710-1-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —सतना

(ख) तहसील— नागौद

(ग) नगर /ग्राम — उमरी चौवे

(घ) क्षेत्रफल— 1.122 हे०

क्र.	खसरा न०	प्रभावित रकवा
1	69	0.025
2	76	0.033
3	70	0.021
4	75	0.028
5	71	0.020
6	74	0.032
7	72	0.012
8	73	0.041
9	63	0.022

10	62	0.019
11	60	0.019
12	61	0.018
13	59	0.026
14	58	0.009
15	56	0.037
16	57	0.005
17	54/1	0.022
18	54/2	0.022
19	51	0.010
20	52	0.028
21	50	0.007
22	20	0.439
23	21	0.127
24	24	0.033
25	26/1	0.067
योग-		1.122

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बमुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 725-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - इटमापार

(घ) क्षेत्रफल- 0.774 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	77/2	0.217
2	77/3	0.121
3	76/2	0.013
4	79/1	0.185
5	81	0.018
6	80	0.014
7	96	0.198
8	89/1	0.008
कुल		0.774 हे०

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत शहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 726-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - महदेई

(घ) क्षेत्रफल- 0.607 हे०

क्र.	खसरा न०	प्रभावित रकवा (हे.में)
1	3	5
1	14/1	0.035
2	13/1	0.032
3	1/1	0.030
4	1/2	0.095
5	1/3	0.109
6	1/4	0.107
7	2/4	0.013
8	3/1	0.173
9	4/1	0.013
योग-		0.607

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत शहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 727-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - घटेहकला

(घ) क्षेत्रफल- 9.8790 हे०

क्रमांक	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे. में)
1	130/1/1	0.0690
2	130/2	0.0540
3	130/3/2	0.0020
4	130/6/2	0.0490
5	130/6/3	0.0490
6	128/1/1	0.0020
7	128/1/2	0.0650
8	128/2	0.1690
9	127/1	0.1570
10	127/2/1	0.0460
11	127/2/2	0.0450
12	127/2/3	0.0430
13	127/3	0.1780
14	126/3	0.0510
15	125/1/1/1	0.0940
16	125/1/1/2	0.2620
17	125/1/2/1	0.0640
18	125/1/2/2/1	0.0440
19	125/1/2/2/2	0.0380
20	125/2/1/1	0.0540
21	125/2/1/2	0.0540
22	125/2/2	0.1010

23	124/1	0.0620
24	124/2	0.0910
25	123/2	0.2530
26	196/1/1	0.1860
27	196/1/2	0.3050
28	196/2	0.2890
29	195	0.1150
30	165	0.0340
31	164	0.1980
32	163	0.0140
33	187	0.0430
34	188	0.0800
35	189	0.1050
36	190	0.1950
37	242	0.1780
38	243/1	0.0140
39	243/2	0.0280
40	358/1	0.7120
41	358/2/1/1	0.2580
42	358/2/1/2	0.1100
43	359/1	0.0210
44	363/1	0.3580
45	363/2	0.6500
46	341/1	0.1200
47	341/2	0.4390
48	340/1	0.4540
49	340/2	0.3290
50	339/1	0.3190
51	339/2	0.0190
52	338	0.6660
53	337	0.1380
54	342/2	0.2820
55	342/1	0.0040
56	336/1	0.4330
57	336/2	0.5510
58	229/3	0.0260
59	232/2	0.0070
60	191	0.0050
61	159	0.0020
62	249	0.0110

63	244/2/1	0.0530
64	239	0.0320
कुल		9.8790

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 305-प्रका.-भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 19 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यक है:-

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	रीवा
(ख) तहसील	त्योथर
(ग) ग्राम	डीह
(घ) क्षेत्रफल	1.439 हे०

स० क्र०	खसरा नंबर	अर्जित रकमा (हे० में)	
		निजी भूमि (अ)	शासकीय भूमि (ब)
1.	1361	0.470	-
2.	1365	0.006	-
3.	1368	0.063	-
4.	1369	0.034	-
5.	1380	0.020	-
6.	1381	0.065	-
7.	1382	0.057	-
8.	1383	0.065	-
9.	1384	0.061	-
10.	1385	0.057	-
11.	1386	0.077	-
12.	1387	0.069	-
13.	1388	0.057	-
14.	1389	0.053	-
15.	1390	0.235	-
16.	1393	-	0.050
कुल योग:-		(अ + ब) = 1.439 हे०	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योथर माइक्रो नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पॉल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 0013-अ-82-2023-24

सीहोर, दिनांक 22 फरवरी 2024

(प्रारूप धारा -11) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	भैरुदा/मन्डी	भूमि - 1.137 हैं.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर	सीप अम्बर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 हेतु भू-अर्जन

—: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	सुभाष पिता खुमानसिंह जाति अहीर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	252/228	0.737	0.737	
2	निर्मला पुत्री मूरत सिंह पत्नि रविशंकर जाति अहीर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	227/2	1.248	0.400	
कुल योग :-		2	1.985	1.137	

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील भैरुदा जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट का कलेक्टर सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा, कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा।

3. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील भैरुदा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 4026-भू-अर्जन-2024

राजगढ़, दिनांक 16 मई 2024

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम झाडक्या के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि/मकान/शोचालय की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम झाडक्या तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

* तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बालाप्रसाद पिता किशनलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/1/1	0.045	0.032	
	योग -	1	0.045	0.032	
2	विनोद पवन ज्योति पिता मोडसिंह, रामकंवरबाई बेवा मोडसिंह गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/1/2	0.044	0.031	
	योग -	1	0.044	0.031	
3	किशनलाल पिता मोहनलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	214/2	0.088	0.063	
	योग -	1	0.088	0.063	
4	जगन्नाथसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/1	0.531	0.405	
	योग -	1	0.531	0.405	

5	गजराजसिंह प्रहलादसिंह डालसिंह प्रीतमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2/1	0.203	0.203	
	योग -	1	0.203	0.203	
6	चन्दरसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	220/2/2	0.202	0.202	
	योग -	1	0.202	0.202	
7	नरबदाप्रसाद पिता भागीरथ, कोमलबाई पिता भागीरथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/1	0.253	0.253	
	योग -	1	0.253	0.253	
8	शंकर पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/2	0.253	0.253	
	योग -	1	0.253	0.253	
9	सम्पतबाई बेवा नाथूलाल, शिवनारायण पिता नाथूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/3	0.253	0.253	
	योग -	1	0.253	0.253	
10	सोरमबाई बेवा बल्देव, पर्वत पिता बल्देव, ललताबाई पिता बल्देव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/4	0.253	0.253	
	योग -	1	0.253	0.253	
11	कल्ला पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/2/5	0.253	0.253	
		312/6	0.253	0.253	
	योग -	2	0.506	0.506	
12	जहांगीर खां शबुददीन खां नबी खां पिता रसूलखां मेहरुन बी खेरुनबी सायरा बी पिता रसूल खां नौशदखां कालेखां अफसाना बी रुखसाना बी गुडडी बी समीनास बी कल्ली बी पिता समसुददीन खां जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	312/12	0.506	0.470	
	योग -	1	0.506	0.470	

13	उरजन पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/13	0.421	0.421	
	योग -	1	0.421	0.421	
14	मुशीलाल पिता ताराचंद, गोर्धन पिता ताराचंद जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	312/18	0.503	0.503	
	योग -	1	0.503	0.503	
15	कमलाकुंवर पति नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/5	0.228	0.228	
		319/7	0.227	0.227	
	योग -	2	0.455	0.455	
16	विष्णु पिता बंशीलाल, लखन पिता बंशीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/1/ 2	0.531	0.450	
	योग -	1	0.531	0.450	
17	रतनलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/3	1.000	1.000	
	योग -	1	1.000	1.000	
18	मोडसिंह पिता परसराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/4	1.000	0.780	
	योग -	1	1.000	0.780	
19	घीसालाल पिता नाथूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/4	0.506	0.270	
	योग -	1	0.506	0.270	
20	लक्ष्मीचंद रामचरण सुगनबाई पदमबाई पिता हीरालाल जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1/ 1	0.057	0.057	
	योग -	1	0.057	0.057	
21	रामगोपाल पिता जगन्नाथ जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	370/1/1/ 2	0.057	0.057	
	योग -	1	0.057	0.057	
22	जगदीश पिता शंकरलाल हि. 50 पैसे बसंतीबाई बेवा मदनलाल गोविन्द फूलसिंह पिता मदनलाल हि. 50 पैसे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375/2	0.042	0.042	
	योग -	1	0.042	0.042	

23	नाथू पिता फुन्दिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/1	0.171	0.171	
	योग -	1	0.171	0.171	
24	रामा पिता फुन्दिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	420/2	0.171	0.171	
	योग -	1	0.171	0.171	
25	बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	439	0.152	0.152	
		464/1	0.068	0.068	
	योग -	2	0.220	0.220	
26	मायाबाई पति हेमराज जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/1/1	0.076	0.076	
	योग -	1	0.076	0.076	
27	राजलबाई पति बंशीलाल जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/1/2/ 1	0.172	0.172	
	योग -	1	0.172	0.172	
28	प्रेमबाई पत्नी हेमराज जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/2/1	0.325	0.325	
	योग -	1	0.325	0.325	
29	खेमचंद नवलसिंह पिता लालजी, शिवनारायण रामसिंह कमलसिंह चैनसिंह पिता रामप्रसाद, हरिसिंह पिता चैनसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/2	0.315	0.015	
	योग -	1	0.315	0.015	
30	नवलसिंह पिता लालजीराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 1	0.253	0.253	
		500/3/2	0.066	0.066	
	योग -	2	0.319	0.319	
31	प्रीतमसिंह पिता चन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 2	0.253	0.076	
	योग -	1	0.253	0.076	
32	पप्पू अनिल पिता कमलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/3/1/ 3	1.265	0.400	
	योग -	1	1.265	0.400	

33	मंगलेश पुत्री चैनसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	500/4	0.221	0.221	
		502/3	0.150	0.025	
	योग -	2	0.371	0.246	
34	शिवनारायण पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/1	0.550	0.040	
		502/1	0.693	0.220	
	योग -	2	1.243	0.260	
35	गायत्रीबाई, चतरबाई, हेमलताबाई, ओमवतीबाई पिता कमलसिंह, कैलाशीबाई बेवा कमलसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	501/2	0.152	0.052	
		502/2	0.589	0.050	
	योग -	2	0.741	0.102	
36	रामसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/4	0.241	0.015	
	योग -	1	0.241	0.015	
37	हरिसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	502/5	0.223	0.040	
	योग -	1	0.223	0.040	
38	मिश्रीलाल पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी, ग्राम भूमि स्वामी	503/2	0.366	0.020	
		514/2	0.716	0.125	
		516/2	0.295	0.295	
		518/2/1	0.155	0.155	
		525/3/1	0.254	0.254	
	योग -	5	1.786	0.849	
39	बूध्दा पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/3	0.366	0.020	
		514/3/1	0.261	0.010	
	योग -	2	0.627	0.030	
40	मु. सुरजीबाई बेवा प्रभुलाल, प्रेमनारायण रामकिशन ओमप्रकाश पिता प्रभुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/4	0.367	0.020	
		514/4	0.623	0.030	
		515/2	0.051	0.051	
		518/4/1	0.539	0.539	
	योग -	4	1.580	0.640	
41	रामप्रसाद पिता कनीराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	503/5	0.367	0.020	
		508/3/1	0.471	0.108	
		518/5/1	0.579	0.500	
	योग -	3	1.417	0.628	
42	बद्रीप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	508/1/1	0.108	0.108	
		515/1	0.265	0.265	
		516/1	0.148	0.148	
	योग -	3	0.521	0.521	

43	प्रेमनारायण पिता जगदीशप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	508/2	0.108	0.108	
	योग -	1	0.108	0.108	
44	मोहन शांतिबाई कौशल्याबाई दौलत पिता सावलिया, दिनेश विनोद कमलाबाई पिता नारायण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	510/1/1	1.653	1.653	
		513/2	0.738	0.738	
	योग -	2	2.391	2.391	
45	शिवप्रसाद पिता देवचंद, मुकेशकुमार पिता रोडसिंह जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	510/1/2	0.065	0.065	
	योग -	1	0.065	0.065	
46	घनश्याम पिता रतनलाल जाति रातोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	510/2	0.065	0.065	
	योग -	1	0.065	0.065	
47	हेमराज पिता मूलचंद जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	511/1/1/1	0.429	0.429	
		513/1/1	0.396	0.396	
	योग -	2	0.825	0.825	
48	कालूराम पिता मूलचंद जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	488/2/2	0.383	0.383	
		511/1/2	0.630	0.630	
		513/1/2	0.395	0.395	
	योग -	3	1.408	1.408	
49	लालजी पिता हरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	513/3	0.191	0.191	
	योग -	1	0.191	0.191	
50	रामप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/1/1	1.221	0.215	
	योग -	1	1.221	0.215	
51	विजयपालसिंह पिता नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/2/2	0.506	0.265	
	योग -	1	0.506	0.265	
52	पूनमचन्द्र पिता रामप्रसाद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	518/3	0.659	0.659	
	योग -	1	0.659	0.659	

53	गोविन्दराम पिता मिश्रीलाल, धापूबाई पत्नी गोविन्दराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	523/2	0.506	0.506		
	योग -	1	0.506	0.506		
54	मिश्रीलाल पिता हरकिशन, प्रेमबाई पत्नी मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	523/3	0.253	0.253		
	योग -	1	0.253	0.253		
55	शरीफ खां पिता रफीक खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	525/1	0.380	0.380		
		525/2	0.252	0.252		
		525/3/2	0.126	0.126		
	योग -	3	0.758	0.758		
56	दामोदर, राजू, शेषराम पिता चन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	455/1	0.506	0.200		
	योग -	1	0.506	0.200		
57	विक्रमसिंह, ब्रजमोहन, विजयसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी	455/2	0.506	0.200		
	योग -	1	0.506	0.200		
58	बंशीलाल पिता रामचन्द्र जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	416	0.215	0.215		
	योग -	1	0.215	0.215		
59	छगन पिता बुधराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	325/2/8	0.188	0.188		
	योग -	1	0.188	0.188		
	महायोग :-		30.117	20.747		
डूब प्रभावित शेष परिसम्पत्ति की सूची						
स.क.	नाम	लम्बाई	चौड़ाई	रकबा (व.मी.)	मकान का प्रकार	रिमा र्क
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवनारायण पिता मोतीलाल	7.15	6.40	45.76	कच्चा मकान	
		7.15	3.70	26.46	पक्का मकान	
		4.40	5.35	23.54	टीनशेड	

2	रामचरण पिता मोतीलाल	6.40	8.10	51.84	कच्चा मकान
		2.90	8.10	23.49	टीनशेड
		9.50	3.50	33.25	पशुशेड कच्चा
		9.50	3.00	28.50	पशुशेड टीनशेड
3	देवकरण पिता रामलाल	8.20	7.15	58.63	पक्का मकान
		9.80	3.40	33.32	पक्का मकान
		7.80	4.70	36.66	पक्का मकान
		6.50	4.10	26.65	टीनशेड
		2.50	1.30	3.25	पक्का शोचालय
4	महेश पिता धनलाल	10.90	3.70	40.33	टीनशेड
		10.90	3.00	32.70	टीनशेड
5	राजेश पिता धनलाल	6.20	3.80	23.56	कच्चा मकान
		7.20	3.40	24.48	टीनशेड
		3.00	2.80	8.40	टीनशेड
		4.60	3.00	13.80	टीनशेड
6	पवन पिता मोरसिंह	11.00	4.55	50.05	कच्चा मकान
7	रमेश पिता नाथूलाल	7.15	3.90	27.89	पक्का मकान
		11.00	3.40	37.40	पशुशेड टीनशेड
		7.15	3.45	24.67	टीनशेड
8	इन्दरसिंह पिता प्रभुलाल	9.90	8.00	79.20	पक्का मकान
		4.20	3.30	13.86	टीनशेड
		2.30	2.30	5.29	टीनशेड
9	नाथूलाल पिता फून्दीलाल	2.70	2.50	6.75	पक्का चबूतरा
10	देवीसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	2.20	1.90	4.18	पक्का चबूतरा
कुल योग -				783.90	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2024

क्रमांक 4423 / भू-अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 16/35-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-पाडलीगुसाई के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
पाडलीगुसाई

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-पाडलीगुसाई की शेष भूमि की आवश्यकता।	4.580	1.032
	कुल योग :	4.580	1.032

-: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	कलाबाई पुत्री रुगनाथ हि. 1/2 भाग, नारानीबाई पुत्री रुगनाथ हि. 1/2 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/4	1.012	0.104
		कुल 1 किता	1.012	0.104
2	लक्ष्मणसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग, चतरुसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग, रोडीबाई पुत्री हरिसिंह हि. 1/3 भाग, जाति लोधा पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी	22/11	1.972	0.458
		कुल 1 किता	1.972	0.458

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	जमात गिर पिता मोती गिर जाति गुसाई पता पाडलीगुसाई ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	191/2	0.506	0.250
		कुल 1 किता	0.506	0.250
4	रतनपुरी पिता मुरलीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	35/3	0.050	0.050
		कुल 1 किता	0.050	0.050
5	प्रेमपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	35/4	0.050	0.050
		कुल 1 किता	0.050	0.050
6	रमेश पुरी पिता गणपत पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/3/1	0.248	0.030
		कुल 1 किता	0.248	0.030
7	कमल पुरी पिता गणपत पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/3/2	0.247	0.030
		कुल 1 किता	0.247	0.030
8	पप्पू पुरी पिता गणपत पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/3/3	0.247	0.030
		कुल 1 किता	0.247	0.030
9	कंचन पुरी बेवा गणपत पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/3/4	0.248	0.030
		कुल 1 किता	0.248	0.030
	महायोग :-	कुल 9 किता	4.580	1.032

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 4424 / भू-अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 15/35-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-कानरखेड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :—

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम-कानरखेड़ी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-कानरखेड़ी की शेष भूमि की आवश्यकता।	72.579	42.960
	कुल योग :	72.579	42.960

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	कन्हैयालाल गिर पिता फूलगिर हि. 2/5 भाग, चतरबाई पति कन्हैयालाल गिर हि. 2/5 भाग, ओमवतीबाई गिर पिता कन्हैयालाल गिर हि. 1/5 भाग, सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	27/9	0.142	0.082
		कुल 1 किता	0.142	0.082
2	रमेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/1	0.250	0.250
		कुल 1 किता	0.250	0.250

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/3	0.101	0.015
		कुल 1 किता	0.101	0.015
4	मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	29/1/2	0.250	0.200
		कुल 1 किता	0.250	0.200
5	रामेश्रवर गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	31	1.316	0.100
		55/3	0.733	0.110
		कुल 2 किता	2.049	0.210
6	सूरजसिंह पंवार पिता देवीसिंह जाति सोधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	34	1.770	1.600
		35	0.797	0.770
		कुल 2 किता	2.567	2.370
7	महेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/2/2	0.245	0.175
		39/1/2	0.100	0.082
		29/1/4	0.101	0.015
		217/1	0.386	0.360
		कुल 4 किता	0.832	0.632
8	रमेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/2/4	0.324	0.050
		कुल 1 किता	0.324	0.050
9	विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	38/2/1	0.115	0.115
		29/1/5	0.101	0.015
		217/2	0.386	0.360
		40/3	0.150	0.150
		39/1/1	0.042	0.042
		कुल 5 किता	0.794	0.682
10	जगदीश गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	46/1	0.803	0.150
		55/2	0.733	0.300
		57/2	0.333	0.060
		कुल 3 किता	1.869	0.510
11	हरिओम गिर पिता बसंती गिर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	45/2/1	0.376	0.150
		कुल 1 किता	0.376	0.150
12	सुनील गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	45/2/2	0.376	0.150
		कुल 1 किता	0.376	0.150
13	डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/2	0.580	0.090
		कुल 1 किता	0.580	0.090
14	लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/3	0.518	0.020
		कुल 1 किता	0.518	0.020
15	गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/4/1	0.094	0.030
		कुल 1 किता	0.094	0.030

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
16	कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	39/4/2	0.094	0.030
		कुल 1 किता	0.094	0.030
17	खेमीबाई पिता कन्हैयालाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/2/1	0.436	0.436
		कुल 1 किता	0.436	0.436
18	फूलसिंह बादामसिंह राजेश पिता भंवरजी जाति गाडरी पता शाहपुर परवलिया सडक भोपाल तहसील भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	41/1/2	1.518	1.518
		कुल 1 किता	1.518	1.518
19	रामबाबू पिता कन्हैयालाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	41/2/2	0.437	0.150
		कुल 1 किता	0.437	0.150
20	कैलाशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, चंचलपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, जगदीशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, रामेशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, हीरापुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग, मनोहरपुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग, मोहनपुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग, गोपीबाई बेवा केसरपुरी हि. 1/25 भाग, सुनीताबाई पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग, सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	216/1	0.139	0.070
		कुल 1 किता	0.139	0.070
21	गुडडीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, मुन्नीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, धापूबाई बेवा मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	213	0.139	0.090
		कुल 1 किता	0.139	0.090
22	इमरतलाल पिता नन्लाल जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	211/1/1	0.103	0.060
		कुल 1 किता	0.103	0.060
23	गंगाराम दत्तक पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	209/2	0.286	0.100
		कुल 1 किता	0.286	0.100
24	चिरोजीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	116/1	0.743	0.050
		कुल 1 किता	0.743	0.050
25	हिम्मतगिर डूगरगिर लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर हि. 75/100 भाग, गोकलगिर कमलगिर पिता केवलगिर शान्तीबाई बेवा केवलगिर हि. 25/100 भाग, पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	100	0.266	0.130
		कुल 1 किता	0.266	0.130

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
26	मांग्या पिता धीसा हि. 50/100 भाग, कन्हैया प्रेम पुरा पिता नन्नु मेवाबाई बेवा नन्नु हि. 50/100 भाग, सर्व जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	97	0.114	0.050
		कुल 1 किता	0.114	0.050
27	सुगनबाई पत्नि मोतीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	93/3	0.209	0.180
		कुल 1 किता	0.209	0.180
28	कंचनसिंह पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, रसूमबाई पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि	86/1	0.297	0.109
		85/1	0.367	0.367
		कुल 1 किता	0.664	0.476
29	लक्ष्मणसिंह पिता बापूलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	85/2/2	0.184	0.184
		कुल 1 किता	0.184	0.184
30	खसरे में नाम नहीं आ रहा है।	85/2/1	0.184	0.184
		कुल 1 किता	0.184	0.184
31	मांगीलाल पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/2/1/1	0.532	0.100
		कुल 1 किता	0.532	0.100
32	संतोष गिरी पिता श्रीराम गिरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/2/1/2	0.500	0.110
		48/2/1/3	0.526	0.210
		48/2/1/4	0.528	0.320
		कुल 3 किता	1.554	0.640
33	रामेश्रवर पिता गेन्दा गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/2/2	2.086	0.130
		कुल 1 किता	2.086	0.130
34	कंचनसिंह पिता भावसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/3/1	0.369	0.369
		कुल 1 किता	0.369	0.369
35	रामबाबू पिता कंचनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/2	2.535	1.080
		कुल 1 किता	2.535	1.080
36	हेमराज पिता कंचनसिंह जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/1	2.535	0.500
		कुल 1 किता	2.535	0.500
37	लाखनसिंह पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, उधमसिंह पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/1/3/2	1.265	0.200
		कुल 1 किता	1.265	0.200
38	मेहताब पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	48/2/4/1	0.244	0.040
		कुल 1 किता	0.244	0.040

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
39	प्रभूगिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/8/3	2.529	1.700
		65/2/3	0.270	0.190
		कुल 2 किता	2.799	1.890
40	नरेशगिर पिता मथरागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/8/2/1	1.265	1.080
		कुल 1 किता	1.265	1.080
41	इन्दरगिर पिता मथरागिर जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/8/2/2	1.265	1.080
		कुल 1 किता	1.265	1.080
42	रामगिर पिता शम्भूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/3/1	1.148	1.148
		कुल 1 किता	1.148	1.148
43	घनश्याम गिर पिता रामगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/3/2	1.000	0.615
		कुल 1 किता	1.000	0.615
44	लखनगिर पिता रामगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/3/3	1.000	0.615
		कुल 1 किता	1.000	0.615
45	प्रद्युम गिर पिता रामगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसीलदार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/3/4	1.000	0.615
		कुल 1 किता	1.000	0.615
46	ग्यारसीराम पिता मांग्या हि. 1/2 भाग, धापू पत्नि ग्यारसीराम हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/1/2/1	0.885	0.300
		कुल 1 किता	0.885	0.300
47	नन्नु पिता मांग्या हि. 1/2 भाग, प्रेमबाई पत्नि नन्नु हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/1/2/3	0.885	0.300
		कुल 1 किता	0.885	0.300
48	रामसिंह पिता मांग्या हि. 1/2 भाग, सुशीलाबाई पत्नि मांग्या हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/1/2/4	0.885	0.300
		कुल 1 किता	0.885	0.300
49	बद्रीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	101/1	0.190	0.130
		कुल 1 किता	0.190	0.130
50	सरदारगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	81/1/1	0.026	0.026
		कुल 1 किता	0.026	0.026
51	काशी गिर पिता राज गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	81/1/2	0.015	0.015
		65/1/2	0.758	0.350
		कुल 2 किता	0.773	0.365

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
52	छोटू गिर पिता राज गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	81/1/3	0.022	0.022
		कुल 1 किता	0.022	0.022
53	मु शैतानबाई बेवा जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	80/1	0.057	0.057
		कुल 1 किता	0.057	0.057
54	काशी बाई बेवा जमनापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	72/6	0.099	0.070
		कुल 1 किता	0.099	0.070
55	भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	67/1	0.109	0.080
		कुल 1 किता	0.109	0.080
56	प्रेम गिर पिता फूल गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	67/4/1	0.029	0.029
		कुल 1 किता	0.029	0.029
57	गोपाल गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	67/4/2	0.041	0.041
		कुल 1 किता	0.041	0.041
58	जितेन्द्र गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	67/4/3	0.041	0.041
		कुल 1 किता	0.041	0.041
59	कैलाशगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/1/1	0.758	0.110
		कुल 1 किता	0.758	0.110
60	घनश्याम गिर पिता चंचलगिर हि. 1/4 भाग, आशाबाई पिता चंचलगिर हि. 1/4 भाग, दिनेश गिर पिता चंचलगिर हि. 1/4 भाग, अयोध्याबाई बेवा चंचलगिर हि. 1/4 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/2/1	0.522	0.522
		कुल 1 किता	0.522	0.522
61	मथरागिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/2/2	0.776	0.600
		कुल 1 किता	0.776	0.600
62	अनिलगिर नाबालिग पिता मुरारीगिर संरक्षक माता राममूर्तिबाई पति मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	30/3/2	1.086	0.025
		कुल 1 किता	1.086	0.025
63	रमेश पिता कनीराम हि. 1/2 भाग, सेतानबाई पत्नि रमेश हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/4/3	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
64	शिवनारान पिता कनीराम हि. 1/2 भाग, जानकीबाई पत्नि शिवनारान हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/4/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
65	रमेश पिता ग्यारसीराम हि. 1/2 भाग, मेवाबाई पत्नि रमेश हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/4/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
66	नारायण गिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/6/4	0.474	0.120
		कुल 1 किता	0.474	0.120
67	ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/2/3	1.197	0.250
		कुल 1 किता	1.197	0.250
68	मंगुपुरी पिता बापूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	2/2	0.548	0.548
		कुल 1 किता	0.548	0.548
69	लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	37/1	0.223	0.138
		36	0.417	0.342
		42/1	0.078	0.078
		कुल 3 किता	0.718	0.558
70	जतनगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	30/1	0.833	0.040
		कुल 1 किता	0.833	0.040
71	गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	42/2/1	0.057	0.057
		37/3/1	0.268	0.175
		कुल 2 किता	0.325	0.232
72	कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	38/1	0.127	0.127
		42/2/2	0.057	0.052
		37/3/2	0.141	0.086
		कुल 3 किता	0.325	0.265
73	डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	37/2	0.496	0.300
		40/4	0.120	0.070
		कुल 2 किता	0.616	0.370
74	बद्री गिर पिता जमना गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	14/3	0.174	0.174
		43/3	0.136	0.015
		कुल 2 किता	0.310	0.189
75	नारायणगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	12/6	0.084	0.084
		कुल 1 किता	0.084	0.084
76	मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	38/2/3	0.226	0.090
		कुल 1 किता	0.226	0.090
77	मुरारीगिर पिता हरिगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	12/5	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
78	मथरागिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	26/2/4	0.367	0.300
		कुल 1 किता	0.367	0.300

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
79	भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	27/10	0.143	0.073
		कुल 1 किता	0.143	0.073
80	लछमनगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	27/8	0.142	0.082
		कुल 1 किता	0.142	0.082
81	कंचनसिंह पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, रसूमबाई पिता भावसिंह हि.1/2 भाग, जाति गुजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	82/1	0.083	0.053
		कुल 1 किता	0.083	0.053
82	मोतीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	92	0.405	0.405
		कुल 1 किता	0.405	0.405
83	सरजूबाई बेवा भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	256/5	0.379	0.379
		कुल 1 किता	0.379	0.379
84	मंजूलताबाई बेवा पहलवानसिंह हि. 1/2 भाग, राजेश नाबालिग पिता पहलवानसिंह संरक्षक माता मंजूलताबाई बेवा पहलवानसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि	209/1	0.288	0.200
		कुल 1 किता	0.288	0.200
85	गंगाराम पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	209/3/1	0.050	0.050
		कुल 1 किता	0.050	0.050
86	इमरतलाल पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)	209/3/2	0.236	0.236
		कुल 1 किता	0.236	0.236
87	नर्बदापुरी पिता दौलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.),	91/2	0.215	0.215
		कुल 1 किता	0.215	0.215
88	कैलाश पिता चम्पालाल हि. 1/2 भाग, रामबाई पत्नी कैलाश जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	164/5/1	1.200	0.100
		कुल 1 किता	1.200	0.100
89	कृष्णा बाई पति कंचनसिंह जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	52/1	1.070	0.670
		53/1	0.082	0.082
		कुल 2 किता	1.152	0.752
90	रुषाबाई पुत्री चैनसिंह जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	52/2/2/2	0.268	0.100
		53/2/2	0.041	0.041
		कुल 2 किता	0.309	0.141
91	हरिओम गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	55/1/1	0.367	0.025
		कुल 1 किता	0.367	0.025

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
92	सुनीलगिर पिता बसंतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)	55/1/2	0.367	0.025
		कुल 1 किता	0.367	0.025
93	नर्मदापुरी पिता इमरतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	136/1/1	0.139	0.040
		कुल 1 किता	0.139	0.040
94	संतोष पुरी पिता इमरतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	136/1/2	0.139	0.040
		कुल 1 किता	0.139	0.040
95	सुमित्राबाई पति जगदीश गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	135/1/1	0.481	0.086
		कुल 1 किता	0.481	0.086
96	सम्पतबाई पति देवगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	135/2	0.506	0.172
		कुल 1 किता	0.506	0.172
97	जगदीश पुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/1	0.582	0.126
		कुल 1 किता	0.582	0.126
98	सुनीलपुरी पिता मथरापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/2	0.417	0.126
		कुल 1 किता	0.417	0.126
99	सरस्वतीबाई पति चिरौजीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/3/2	0.344	0.126
		कुल 1 किता	0.344	0.126
100	रामगिर पिता शम्भूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/4/1	0.152	0.152
		कुल 1 किता	0.152	0.152
101	दीपी उर्फ दीपाबाईगिर पति लखनगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम कनारखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/4/2	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759
102	श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/1/1	0.345	0.345
		कुल 1 किता	0.345	0.345
103	विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/1/2	0.038	0.038
		कुल 1 किता	0.038	0.038
104	डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/2	0.383	0.383
		कुल 1 किता	0.383	0.383

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
105	लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/3	0.383	0.383
		कुल 1 किता	0.383	0.383
106	कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/4/2	0.191	0.191
		कुल 1 किता	0.191	0.191
107	गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/5/4/1	0.191	0.191
		कुल 1 किता	0.191	0.191
108	श्यामाबाई पति गणेश जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/6/1	1.897	1.897
		कुल 1 किता	1.897	1.897
109	बदी गिर पिता जमना गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/6/2	0.474	0.474
		कुल 1 किता	0.474	0.474
110	हीरूगिर पिता जमनगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/6/3	0.474	0.474
		कुल 1 किता	0.474	0.474
111	जतनगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/6/5	0.475	0.475
		कुल 1 किता	0.475	0.475
112	रामेश्वर गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/7/1	0.088	0.088
		कुल 1 किता	0.088	0.088
113	हरिओम गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/7/2/1	0.234	0.234
		कुल 1 किता	0.234	0.234
114	सुनील गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/7/2/2	0.234	0.234
		कुल 1 किता	0.234	0.234
115	जगदीश गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/7/3	0.468	0.468
		कुल 1 किता	0.468	0.468
116	गुडडीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, मुन्नीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, धापूबाई बेवा मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/7/4	0.279	0.279
		कुल 1 किता	0.279	0.279

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
117	घनश्याम गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, आशाबाई गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, दिनेश गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, अयोध्याबाई बेवा चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/8/1	2.530	2.530
		कुल 1 किता	2.530	2.530
118	फूलसिंह, बादामसिंह राजेश पिता भंवरजी जाति गाडरी पता निवासी शाहपुर परवलिया सडक भोपाल तहसील भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	47/9	1.897	1.897
		कुल 1 किता	1.897	1.897
119	खसरे में नाम नहीं आ रहा है।	86/2/1	0.149	0.149
		कुल 1 किता	0.149	0.149
120	लक्ष्मणसिंह पिता बापूलाल जाति गूजर निवासी ग्राम तहसील सुठालिया म.प्र.	86/2/2	0.149	0.149
		कुल 1 किता	0.149	0.149
		कुल 145 किता	72.579	42.960

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 4425/भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-हुडा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्र. SIA/MP/RIV/34715/ 2019 लंबित है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुके अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, हुडा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित ग्राम-हुडा की शेष भूमि की आवश्यकता।	16.557	4.107
	कुल योग :	16.557	4.107

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	जालम पिता बंशीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	6/3	0.759	0.020
		7	0.379	0.033
		कुल 2 किता	1.138	0.053
2	हीरालाल, पन्नालाल, बद्रीलाल, पर्वतसिंह, आ सरदार हि.80, चैनसिंह, कंचनसिंह, गजराज मनमोहन, देवबाई, शीलाबाई आ फतेसिंह, प्रेमबाई बेवा फतेसिंह हि.20, जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.126	0.027
		132	2.023	0.073
		कुल 2 किता	2.149	0.100
3	मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	101/2	0.093	0.084
		कुल 1 किता	0.093	0.084

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
4	कमलसिंह पिता धुरीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	112/1/1	0.082	0.002
		कुल 1 किता	0.082	0.002
5	दामोदर पिता भैयालाल जाति गूजर पता हुडा निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	112/2/1	0.123	0.058
		69/2/1	0.171	0.003
		103/1/1	0.206	0.020
		कुल 3 किता	0.500	0.081
6	दिलीप पिता भैयालाल जाति गूजर पता हुडा निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	112/2/2	0.124	0.018
		कुल 1 किता	0.124	0.018
7	हीरालाल पिता सरदार जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134/3/1	1.886	0.196
		कुल 1 किता	1.886	0.196
8	बापूलाल पिता बंशीलाल जाति गूजर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	135/1	0.202	0.019
		135/2	0.203	0.049
		कुल 2 किता	0.405	0.068
9	रमाबाई बेवा बद्रीलाल अमृतलाल, रघुवीरसिंह, कमलसिंह, कृष्णाबाई सर्व पिता बद्रीलाल जाति गूजर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	118/3	0.477	0.194
		कुल 1 किता	0.477	0.194
10	मोहनलाल पिता हरिसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	119/2	0.557	0.029
		कुल 1 किता	0.557	0.029
11	धुरीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	120	0.506	0.049
		कुल 1 किता	0.506	0.049
12	बद्रीलाल पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, गणपतसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, मोहनलाल पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, दयालसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	92/1	0.253	0.051
		93/1	0.063	0.003
		कुल 2 किता	0.316	0.054
13	धुरीलाल पिता बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	69/1	0.341	0.083
		कुल 1 किता	0.341	0.083
14	नारानसिंह पिता देवबगस जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/1/6	0.055	0.014
		कुल 1 किता	0.055	0.014
15	पर्वतसिंह, लाखनसिंह, मेहरबान पिता लालजी जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/3	0.506	0.148
		कुल 1 किता	0.506	0.148
16	मानसिंह पिता हरिसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/5/2	0.084	0.022
		कुल 1 किता	0.084	0.022

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
17	पन्नालाल पिता मोडसिंह हि .1/2, भाग, कमलाबाई पत्नी मोडसिंह हि .1/2, भाग, जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/6	0.169	0.026
		कुल 1 किता	0.169	0.026
18	हरिसिंह पिता मोडसिंह हि. 1/3 भाग, कंचनसिंह पिता मोडसिंह हि. 1/3 भाग, भूलीबाई.बेवा मोडसिंह हि. 1/3 भाग, जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	101/1	0.092	0.037
		कुल 1 किता	0.092	0.037
19	रामबाबू पिता गंगाधर जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	100	0.288	0.088
		कुल 1 किता	0.288	0.088
20	भंवरजी पिता नाथूलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	101/3	0.093	0.063
		कुल 1 किता	0.093	0.063
21	मांगीलाल पिता वंशीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	5/1	1.116	0.100
		6/1	0.101	0.070
		कुल 2 किता	1.217	0.170
22	सोजी पिता वंशीलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	5/2	0.965	0.030
		6/2	0.253	0.100
		कुल 2 किता	1.218	0.130
23	गणपतसिंह पिता हरिसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	8/1	0.493	0.470
		कुल 1 किता	0.493	0.470
24	सरजनसिंह पिता गंगाधर जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	115/1	0.771	0.380
		कुल 1 किता	0.771	0.380
25	सरजूबाई पिता मोडसिंह हि. 1/3 भाग, धापूबाई पिता मोडसिंह हि. 1/3 भाग, कंचनबाई पिता मोडसिंह हि. 1/3 भाग, जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/3/2	0.100	0.100
		कुल 1 किता	0.100	0.100
26	मोहनलाल पिता हरिसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/5	0.088	0.088
		कुल 1 किता	0.088	0.088
27	दयालसिंह पिता हरिसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/6	0.088	0.088
		कुल 1 किता	0.088	0.088
28	कलाबाई पुत्री काशीराम पत्नी दीपसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम हालमुकाम सांका जागीर तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134/4/2/3	0.228	0.140
		138/3	0.944	0.080
		कुल 2 किता	1.172	0.220
29	सौरमबाई पत्नि सरजनसिंह जाति गूर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/2	0.379	0.170
		कुल 1 किता	0.379	0.170

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रमावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
30	गणपतसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/3/1	0.572	0.462
		91/4	0.088	0.088
		कुल 2 किता	0.660	0.550
31	रमाबाई बेवा बद्रीलाल अमृतलाल रघुवीरसिंह कमलसिंह कृष्णाबाई सर्व पिता बद्रीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	91/1	0.089	0.089
		कुल 1 किता	0.089	0.089
32	फतेसिंह पिता हरिसिंह जाति जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	65/5/1	0.084	0.040
		कुल 1 किता	0.084	0.040
33	अमरसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	134/2/1	0.028	0.028
		कुल 1 किता	0.028	0.028
34	बद्रीलाल लीलाबाई कोमलबाई पिता चैनसिंह शेतानबाई पिता चैनसिंह प्रेमबाई बेवा चैनसिंह जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/1	0.049	0.020
		कुल 1 किता	0.049	0.020
35	प्रेमसिंह पिता अमृतलाल सरजूबाई बेवा अमृतलाल जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/2	0.049	0.040
		कुल 1 किता	0.049	0.040
36	बापूलाल पिता देवबगस जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/3	0.049	0.040
		कुल 1 किता	0.049	0.040
37	फूलसिंह पिता देवबगस जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/4	0.048	0.020
		कुल 1 किता	0.048	0.020
38	नवलसिंह पिता देवबगस जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/5	0.048	0.020
		कुल 1 किता	0.048	0.020
39	नारानसिंह पिता देवबगस जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/6	0.015	0.015
		कुल 1 किता	0.015	0.015
40	रामसिंह पिता सरदार जाति गुर्जर पता हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	66/3	0.051	0.020
		कुल 1 किता	0.051	0.020
महायोग :-		कुल 50 किता	16.557	4.107

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 4426 / भू-अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2020-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-कांकरिया गुर्जर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल के पत्र क्रं. 1111/मं॥ दिनांक 03.06.2021 द्वारा जारी की गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए/ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था। तत्पश्चात प्रथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-कांकरिया गुर्जर

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-कांकरिया गुर्जर की शेष भूमि की आवश्यकता।	118.049	58.107
कुल योग :		118.049	58.107

—: अनुसूची (2) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	दयालसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग, चंदरसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग, भगवतसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग, सरदारबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1/4 भाग, जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	8/1 158/1/3 163/3 377	0.506 0.144 0.076 1.682	0.500 0.010 0.076 0.720
		कुल 4 किता	2.408	1.306
2	प्रेमबाई बेवा मोडसिंह जाति गूजर पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/1/1	0.759	0.759
		कुल 1 किता	0.759	0.759

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
3	गजराजसिंह पिता बंशीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/1/2	0.506	0.506
		176/4	0.481	0.090
		194/2	0.595	0.475
		200/3	0.949	0.260
		320	0.544	0.100
		321	0.898	0.570
		कुल 6 किता	3.973	2.001
4	मोतीलाल बद्दीलाल भूरा पिता गोपीलाल दरियावबाई पिता गोपीलाल जाति चमार पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/3/1/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
5	कैलाश पिता कंवरलाल जाति भंगी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/6	1.500	1.500
		कुल 1 किता	1.500	1.500
6	पूनमचंद पिता काशीराम हि. 1/2 भाग, रामबाई पत्नी पूनमचंद हि. 1/2 भाग, जाति भंगी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/7	1.500	1.500
		कुल 1 किता	1.500	1.500
7	घोसीराम पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग, नन्नूलाल पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग, कंचनसिंह पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग, काशीबाई बेवा प्रभूलाल हि. 1/4 भाग, जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	23	0.399	0.329
		कुल 1 किता	0.399	0.329
8	सरजनसिंह पिता मानसिंह हि. 9/100 भाग, सागरसिंह पिता मानसिंह हि. 8/100 भाग, सुमेरसिंह पिता मानसिंह हि. 8/100 भाग, अमरसिंह पिता जगन्नाथ हि. 25/100 भाग, भवरजी पिता प्रताब हि. 17/100 भाग, अमरसिंह पिता प्रताब हि. 17/100 भाग, प्रेमसिंह पिता गोरेलाल हि. 6/100 भाग, चन्दरसिंह पिता गोरेलाल हि. 5/100 भाग, निर्भयसिंह पिता गोरेलाल हि. 5/100 भाग, जाति गुर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	270	0.215	0.140
		कुल 2 किता	0.215	0.140
9	चैनसिंह पिता मानसिंह जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	40	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
10	चैनसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/1/1	0.068	0.020
		208/3	0.680	0.400
		कुल 2 किता	0.748	0.420
11	सीताराम पिता मोतीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	208/4	0.400	0.300
		257/1	0.291	0.050
		कुल 2 किता	0.691	0.350
12	सौनाथसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/1/3	0.067	0.015
		208/2	0.701	0.511
		257/2	0.126	0.090
		कुल 3 किता	0.894	0.616

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
13	सागरसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/2/1	0.101	0.030
		कुल 1 किता	0.101	0.030
14	सुमेरसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/2/2	0.101	0.080
		210/2	1.436	0.180
		कुल 2 किता	1.537	0.260
15	मोडसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर पता कांकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	43/3	0.013	0.013
		317/2	0.506	0.436
		कुल 2 किता	0.519	0.449
16	मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	46/1	0.164	0.120
		कुल 1 किता	0.164	0.120
17	मेहताबसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	47/1	0.228	0.228
		48/1	0.152	0.152
		271	0.379	0.329
		369	1.783	0.030
		370	1.316	0.760
		374/1	1.316	0.790
		कुल 6 किता	5.174	2.289
18	रामलखन लक्ष्मण गोविन्द पिता घनश्याम अयोध्याबाई बेवा घनश्याम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	15/3/1/1/1	0.253	0.253
		158/1/2	0.072	0.038
		163/2/1	0.038	0.038
		176/1/3	0.530	0.530
		176/1/1/2	0.190	0.190
		कुल 8 किता	1.083	1.049
19	विक्रमसिंह पिता खुमानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	158/1/4	0.071	0.060
		163/2/2	0.038	0.038
		176/1/2	0.531	0.531
		176/1/1/1	0.190	0.190
		15/3/1/1/2	0.253	0.253
		कुल 5 किता	1.083	1.072
20	कालू पिता सेवा हि. 1/2 भाग, मदन पिता सेवा हि. 1/2 भाग, सर्व जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	66	0.493	0.240
		कुल 1 किता	0.493	0.240
21	इंदरसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, चंदरसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, सूरजसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, गुलाबबाई बेवा मोहनलाल हि. 1/4 भाग, सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2/1	0.086	0.086
		153/2	0.023	0.012
		कुल 2 किता	0.109	0.098
22	बुदधराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	153/3	0.022	0.012
		131/2/2	0.038	0.038
		131/1/1	0.164	0.164
		कुल 3 किता	0.224	0.214
23	मेहरबानसिंह पिता हीरालाल हि. 1/2 भाग, गीताबाई बेवा हीरालाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	131/2/3	0.396	0.396
		147/1	0.181	0.040
		153/1	0.022	0.010
		कुल 3 किता	0.599	0.446

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
24	नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	131/2/4	0.034	0.034
		131/1/2	0.190	0.190
		153/4	0.022	0.012
		कुल 3 किता	0.246	0.236
25	सूरजसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	135	1.417	0.420
		कुल 1 किता	1.417	0.420
26	मोडसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 भाग, लाखनसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	137/1	0.190	0.050
		353/2	0.531	0.270
		354/2/2	0.318	0.090
		कुल 3 किता	1.039	0.410
27	मोडसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 भाग, लाखनसिंह पिता गंगाराम हि. 1/2 भाग, सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	212	0.126	0.076
		कुल 1 किता	0.126	0.076
28	नाबा. रामबाबू, राजकुमारी, भूरी, शैम्पू, माला पिता कल्ला, सरपरस्त सुशीलाबाई पत्नि कल्ला सुशीलाबाई पत्नि स्व कल्ला जाति भंगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	137/7	1.500	1.420
		कुल 1 किता	1.500	1.420
29	राधेश्याम उषाबाई पिता मोहनदास मु रामलताबाई बेवा मोहनदास नरसंगलाल पिता देवालाल जाति बेरागी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	137/2	0.101	0.101
		354/2/1	0.011	0.011
		कुल 2 किता	0.112	0.112
30	लक्ष्मीबाई पत्नि बलरामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	141	0.215	0.215
		147/2	0.376	0.050
		कुल 2 किता	0.591	0.265
31	बापू, पिता गोपीलाल, नारायणसिंह पिता मदन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	150/1	0.316	0.316
		कुल 1 किता	0.316	0.316
32	परसराम पिता मोडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	158/1/1	0.143	0.050
		कुल 1 किता	0.143	0.050
33	हरिशंकर परसराम पिता मोडसिंह प्रेमबाई बेवा मोडसिंह हि. 33 पै. खुमानसिंह नारायणसिंह पिता बंशीलाल हि. 67 पै. सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	158/2	0.038	0.018
		कुल 1 किता	0.038	0.018
34	हरिशंकर पिता मोडसिंह हि. 1/2 भाग, प्रेमबाई बेवा मोडसिंह हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	163/1	0.076	0.076
		कुल 1 किता	0.076	0.076
35	नारायणसिंह पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174/1	0.100	0.100
		174/4	0.183	0.183
		174/8	0.207	0.207
		215/1	0.133	0.100
		221/5	1.094	0.714
		42/1/2	0.084	0.030
		कुल 6 किता	1.801	1.334

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
36	रामबाबू पिता छत्रसालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174/3	0.183	0.183
		174/5	0.183	0.163
		215/2	0.066	0.066
		221/3	0.547	0.377
		कुल 4 किता	0.979	0.789
37	भगवतसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174/2	0.183	0.183
		174/6	0.183	0.183
		215/4	0.067	0.067
		221/2	0.546	0.454
		कुल 4 किता	0.979	0.887
38	विश्रामसिंह पिता छत्रसालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174/7	0.179	0.179
		179	0.038	0.038
		215/3	0.067	0.067
		221/4	0.547	0.366
		कुल 4 किता	0.831	0.650
39	जसवन्तसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	174/9	0.206	0.206
		215/5	0.066	0.066
		215/6	0.385	0.255
		221/1	0.162	0.162
		कुल 4 किता	0.819	0.689
40	रामबाबू भगवानसिंह, रामगोपाल, रामसुख पिता प्रेमसिंह मारनीबाई बेवा प्रेमसिंह सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/1/3	0.506	0.506
		200/1	0.923	0.863
		415/1/2	0.632	0.060
		417	1.012	0.260
		418/1/1	0.873	0.210
		176/2	0.922	0.922
		कुल 6 किता	4.868	2.821
41	सूरजसिंह अमृतलाल पिता फतेसिंह रामकन्या मांगीबाई पिता फतेसिंह अनूपबाई बेवा फतेसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	197	0.164	0.164
		कुल 1 किता	0.164	0.164
42	लक्ष्मणसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	194/1	0.733	0.733
		195	1.189	1.009
		196/1	0.836	0.771
		कुल 3 किता	2.758	2.513
43	मोहनलाल पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	196/2	0.555	0.160
		कुल 1 किता	0.555	0.160
44	मांगीलाल पिता जालमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	208/1/2	0.166	0.116
		कुल 1 किता	0.166	0.116
45	दीनदयाल पिता सागरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	210/1	0.171	0.171
		कुल 1 किता	0.171	0.171
46	बलराम पिता रामबगस जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	224	0.632	0.552
		222	3.111	0.026
		कुल 2 किता	3.743	0.578

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
47	हरिसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/2/2	0.127	0.100
		230	2.795	0.295
		कुल 2 किता	2.922	0.395
48	हरिसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	234/1/1/1	0.258	0.080
		कुल 1 किता	0.258	0.080
49	शिवनारायण पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	234/1/1/2	0.257	0.020
		कुल 1 किता	0.257	0.020
50	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	235/1/1	0.802	0.712
		कुल 1 किता	0.802	0.712
51	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	235/1/2	0.698	0.268
		कुल 1 किता	0.698	0.268
52	विक्रमसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	235/1/3	0.687	0.063
		कुल 1 किता	0.687	0.063
53	राधाबाई पत्नि रामबाबू जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	235/2	0.873	0.250
		कुल 1 किता	0.873	0.250
54	रामकिशन पिता गंगाराम जाति चमार पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	253/1/1	0.253	0.170
		238/2/1/1/1	0.189	0.060
		कुल 2 किता	0.442	0.230
55	रामप्रसाद पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	238/2/2	1.201	0.901
		253/1/2	0.253	0.100
		कुल 2 किता	1.454	1.001
56	मदन पिता सेवा जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	253/2	0.493	0.200
		कुल 1 किता	0.493	0.200
57	पर्वतसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जरपता पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	300	6.399	0.120
		302	2.402	0.330
		303	1.088	0.200
		254/1	0.076	0.046
		304	0.051	0.051
		368	0.632	0.040
		372	0.885	0.635
कुल 7 किता	11.533	1.422		
58	प्रेमबाई पति मेताब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	254/2	0.101	0.040
		कुल 1 किता	0.101	0.040
59	पूरन पिता रामप्रसाद हि. 1/2 भाग, कृष्णा पत्नि पूरन हि.1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	255	1.455	0.230
		कुल 1 किता	1.455	0.230

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
60	भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	256/2	0.234	0.140
		कुल 1 किता	0.234	0.140
61	बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	273	0.139	0.039
		347/1/2	0.110	0.110
		कुल 2 किता	0.249	0.149
62	भगवतीबाई पत्नि भारतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	279/1	0.215	0.040
		कुल 1 किता	0.215	0.040
63	गणेश पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	279/2	0.215	0.040
		कुल 1 किता	0.215	0.040
64	दयालसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	232/1	0.126	0.040
		कुल 1 किता	0.126	0.040
65	धुरीलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/1	0.200	0.050
		कुल 1 किता	0.200	0.050
66	मोरसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/12	0.056	0.020
		कुल 1 किता	0.056	0.020
67	लालाराम पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/3	0.076	0.010
		कुल 1 किता	0.076	0.010
68	रामबगस पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/4	0.035	0.020
		कुल 1 किता	0.035	0.020
69	रामनाथसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/5	0.056	0.030
		कुल 1 किता	0.056	0.030
70	नन्दराम पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	231/6	0.056	0.030
		कुल 1 किता	0.056	0.030
71	भावसिंह पिता राधाकिशन जाति गुर्जर पता काकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	281/1/6	0.093	0.040
		231/7	0.281	0.126
		कुल 2 किता	0.374	0.166
72	नारायणसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	400	2.757	0.140
		कुल 1 किता	2.757	0.140
73	अमरसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	301/3	1.100	0.020
		कुल 1 किता	1.100	0.020
74	शिवनारायण पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	317/1	0.708	0.538
		कुल 1 किता	0.708	0.538

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
75	मांगीलाल पिता मोतीलाल , भंवरीबाई बेवा मोतीलाल हि. 1/2 भाग, गुलाब पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	318/1/1	0.354	0.354
		318/1/4	0.135	0.135
		कुल 2 किता	0.489	0.489
76	मानसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	283/2	0.240	0.080
		कुल 1 किता	0.240	0.080
77	दीपाबाई पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	318/2	0.379	0.100
		कुल 1 किता	0.379	0.100
78	मोती आ गोपी बसन्तीबाई पति मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	322	1.025	0.570
		कुल 1 किता	1.025	0.570
79	आजादसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	328	1.278	1.128
		330	0.063	0.063
		345/2	0.759	0.253
		कुल 3 किता	2.100	1.444
80	गणपतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	331/1	0.468	0.050
		333/1	0.114	0.114
		338/2	0.365	0.365
		कुल 3 किता	0.947	0.529
81	आजादसिंह पिता मोरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	347/1/1/1	0.151	0.070
		कुल 1 किता	0.151	0.070
82	पर्वतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	333/2/2	0.038	0.038
		338/1	0.396	0.396
		कुल 2 किता	0.434	0.434
83	सरजनसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	333/2/3	0.038	0.038
		कुल 1 किता	0.038	0.038
84	भजन पिता अमरसिंह जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	331/2/3	0.156	0.020
		333/2/1	0.038	0.038
		कुल 2 किता	0.194	0.058
85	दशरथसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/1/1/1	0.425	0.200
		418/2/1/1	0.664	0.310
		कुल 2 किता	1.089	0.510
86	कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/1/1/2	0.426	0.376
		418/2/1/2	0.664	0.070
		कुल 2 किता	1.090	0.446
87	पप्पू पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/1/1/3	0.426	0.426
		418/2/1/3	0.664	0.180
		कुल 2 किता	1.090	0.606
88	लक्ष्मणसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	332/1/2	0.759	0.340
		कुल 1 किता	0.759	0.340

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
89	फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	338/4	0.102	0.102
		कुल 1 किता	0.102	0.102
90	प्रेमसिंह पिता करनसिंह जाति सौंधिया पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	347/2	0.274	0.060
		कुल 1 किता	0.274	0.060
91	सूरजसिंह पिता करनसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	347/3	0.274	0.060
		कुल 1 किता	0.274	0.060
92	रामसिंह पिता पन्नालाल हि. 1/2 भाग, रमेशचंद्र पिता पन्नालाल हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता निवासी हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	347/4	0.380	0.130
		कुल 1 किता	0.380	0.130
93	बद्रीलाल पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	351	0.493	0.050
		353/1/2	0.218	0.140
		कुल 2 किता	0.711	0.190
94	हजारीलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	355/1	0.417	0.360
		कुल 1 किता	0.417	0.360
95	कन्हैयालाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	355/2	0.353	0.260
		कुल 1 किता	0.353	0.260
96	धूलसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	356/1	0.500	0.040
		कुल 1 किता	0.500	0.040
97	रामनारायण पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	356/2	0.500	0.080
		कुल 1 किता	0.500	0.080
98	भारतसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	364/1	0.687	0.487
		365	0.316	0.150
		366/1	0.013	0.013
		367/1	0.533	0.090
		कुल 4 किता	1.549	0.740
99	विक्रमसिंह पिता गणेशराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	364/2	0.300	0.300
		366/2	0.189	0.139
		367/2	1.074	0.040
		कुल 3 किता	1.563	0.479
100	इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	375/1	1.200	1.200
		कुल 1 किता	1.200	1.200
101	दौलतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	375/2	0.924	0.924
		कुल 1 किता	0.924	0.924
102	रुकमणीबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	379/1	0.253	0.183
		कुल 1 किता	0.253	0.183

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
103	कान्ताबाई पति दयालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	379/2	0.253	0.040
		कुल 1 किता	0.253	0.040
104	जगदीश पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	418/2/2/1	1.739	0.235
		कुल 1 किता	1.739	0.235
105	पवित्राबाई पत्नि रामबाबू, चिन्ताबाई पत्नि भगवानसिंह, सुनीताबाई पत्नि रामगोपाल सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	402/1	0.291	0.080
		कुल 1 किता	0.291	0.080
106	कमलसिंह पिता जालमसिंह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	208/1/1	0.165	0.115
		कुल 1 किता	0.165	0.115
107	अनीताबाई पति विश्रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम कांकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	238/2/1/2	0.506	0.290
		कुल 1 किता	0.506	0.290
108	जसवंत सिंह गजराजसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	318/1/2	0.506	0.080
		कुल 1 किता	0.506	0.080
109	संतोषबाई पत्नि चंदरसिंह जाति राव पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	318/1/3	0.220	0.095
		कुल 1 किता	0.220	0.095
110	दयालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/1/1	0.085	0.030
		कुल 1 किता	0.085	0.030
111	छत्रसालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/1/3	0.084	0.042
		कुल 1 किता	0.084	0.042
112	प्रभुलाल पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	42/2/1	0.126	0.126
		कुल 1 किता	0.126	0.126
113	पर्वतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	418/1/2/1	0.319	0.301
		378/1	0.084	0.084
		कुल 2 किता	0.403	0.385
114	हरिनारायण पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/2	0.084	0.084
		418/1/2/2	0.319	0.289
		कुल 2 किता	0.403	0.373
115	बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/3	0.083	0.083
		418/1/2/3	0.319	0.191
		कुल 2 किता	0.402	0.274
116	होकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/4	0.083	0.083
		418/1/2/4	0.318	0.158
		कुल 2 किता	0.401	0.241

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
117	दरयावबाई बेवा अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	378/5 418/1/2/5	0.083 0.318	0.083 0.050
		कुल 2 किता	0.401	0.133
118	इमरतलाल पिता फतेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/2/1	0.360	0.230
		कुल 1 किता	0.360	0.230
119	सूरजसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	200/2/4	0.638	0.190
		कुल 1 किता	0.638	0.190
120	प्रेमसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2/2	1.334	1.334
		कुल 1 किता	1.334	1.334
121	निभयसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2/3	1.334	1.334
		कुल 1 किता	1.334	1.334
122	चन्द्रसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/2/1	0.367	0.367
		कुल 1 किता	0.367	0.367
123	चेनसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	198	0.177	0.090
		कुल 1 किता	0.177	0.090
124	रामसिंह पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15/3/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
125	सुआबाई पत्नी पर्वतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	238/2/1/1/2	0.506	0.506
		कुल 1 किता	0.506	0.506
126	प्यारीबाई पिता गेंदा हि. 1/5 भाग, पूनमचंद पहवान ओमप्रकाश पिता काशीराम शेतानबाई बेवा काशीराम हि. 1/5 भाग, कैलाश रामप्रसाद बतूली कल्ली चन्दा प्रम पिता कवरिया धापूबाई बेवा कवरिया हि. 1/5 भाग, नाबा, श्यामबाबू राजकुमारी भूरी शम्भूमाता पिता कल्ला सरपरस्त माता सुशीलाबाई बेवा कल्ला सुशीलाबाई बेवा कल्ला हि. 1/5 भाग, नाबा रामभरोसा गोविन्द सोनू पूजा मनीषा पुत्री भैयालाल सरपरस्त माता राजूबाई बेवा भैयालाल राजूबाई बेवा भैयालाल मदन रामसिया सारदा पिता शिम्भू हि. 1/5 भाग जाति भंगी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	137/4	2.529	2.529
		कुल 1 किता	2.529	2.529
127	रामलाल पिता शोभाराम हि. 1/2 भाग, केशरबाई बेवा देवबगस हि. 1/2 भाग, जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	444 447 445 446	1.176 0.126 4.692 0.519	0.150 0.063 0.090 0.110
		कुल 3 किता	6.513	0.413
128	पन्नालाल पिता हरलाल हि. 1/3 भाग, माखनसिंह पिता हरलाल हि. 1/3 भाग, किशनलाल पिता हरलाल हि. 1/3 भाग, जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	434	1.088	0.100
		कुल 2 किता	1.088	0.100
129	अमरसिंह पिता प्रतापसिंह जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	431/2	1.012	1.012
		कुल 1 किता	1.012	1.012
	महायोग :-	कुल 227 किता	118.049	58.107

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क./01/अ-82/2023-24

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में नाईहेडा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ नाईहेडा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	नाईहेडा जलाशय विवरण	तहसील - खिलचीपुर	जिला राजगढ़
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
	निजी भूमि नाईहेडा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	रकबा	
1	ग्राम-नाईहेडा की भूमि	7.636	
2	ग्राम-खेमापुरा की भूमि	2.839	
	योग	10.475	

अनुसूची (2)

नाईहेडा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण

स. क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
ग्राम :- नाईहेडा					
1	देवा पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	1	0.684	0.212	
		198/3/1	0.010	0.010	
		230/3/2	0.461	0.185	
	योग :-	3	1.155	0.407	
2	लालचंद, नारायणसिंह, बद्रीलाल पिता चम्पा, गंगाबाई बैवा बीरम हि. बराबर 1/4 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	198/3/2	0.343	0.343	
		202/3/2	0.619	0.090	
		21/1/2	0.309	0.309	
	योग :-	3	1.271	0.742	
3	लालजी, नारायणसिंह, बद्रीलाल पिता चम्पालाल हि. बराबर 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	198/3/3/1	0.253	0.253	
	योग :-	1	0.253	0.253	

4	मोडसिंह, चैनसिंह, सुजान, प्रकाश पिता मांगीलाल, गुलाबबाई बैवा मांगीलाल हि. बराबर 1/10, मदनलाल, रेडीबाई पिता शंकरलाल हि. बराबर 1/4 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	237/3/1	0.443	0.220	
		283/3/1	0.158	0.158	
	योग :-	2	0.601	0.378	
5	देवसिंह पिता धुलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	237/3/2	0.443	0.220	
	योग :-	1	0.443	0.220	
6	घीसा पिता रामलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	270/3	0.660	0.660	
	योग :-	1	0.660	0.660	
7	पप्पूसिंह पिता घीसालाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	238/3	0.709	0.060	
		281/3	0.113	0.113	
	योग :-	2	0.822	0.173	
8	करनसिंह, फुलसिंह, मोहनलाल पिता भैरूलाल, गोपीलाल, प्रभुलाल, नंदा, मेहताब, कनीराम, रूघनाथ, पांचु पिता बंशी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	239/3/2	0.024	0.024	
	योग :-	1	0.024	0.024	
9	गोपीलाल, प्रभुलाल, नंदा, मेहताब, कनीराम, रूघनाथ, पांचू पिता बंशी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	230/3/1/1	0.200	0.080	
		21/1/4/1	0.154	0.154	
	योग :-	2	0.354	0.234	
10	करनसिंह, मोहनलाल फुलसिंह पिता भैरूलाल हि. बराबर 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	230/3/1/2	0.201	0.080	
		21/1/4/2	0.155	0.155	
	योग :-	2	0.356	0.235	
11	गोकुल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	22/1	0.018	0.018	
		23/2	0.06	0.060	
		198/3/3/2/2	0.03	0.030	
		202/3/1/1	0.310	0.175	
	योग :-	4	0.418	0.283	
12	बनवारी पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	22/2	0.018	0.018	
		23/3	0.060	0.060	
		198/3/3/2/3	0.030	0.030	
		202/3/1/2	0.309	0.250	
	योग :-	4	0.417	0.358	
13	मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि.ग्राम भू-स्वामी	23/1	0.131	0.131	
		21/1/1	0.025	0.025	
		198/3/3/2/1	0.030	0.030	
	योग :-	3	0.186	0.186	

14	मांगीलाल, बीरम, नन्दराम, पुरीबाई, नरबदीबाई, गंगाबाई, नारायणीबाई पिता भैरिया हि. बराबर 1/14 मांगीलाल, कालू, सुंदरबाई पुत्री भवना हि. बराबर 1/6 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	6	0.470	0.470	
		25	0.036	0.036	
	योग :-	2	0.506	0.506	
15	पुरीलाल पिता रामा जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/1/3	0.308	0.308	
	योग :-	1	0.308	0.308	
16	बापूलाल पिता देवा जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/2/1	0.119	0.119	
	योग :-	1	0.119	0.119	
17	बीरम, पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	21/2/2	0.119	0.119	
	योग :-	1	0.119	0.119	
18	श्रीलाल पिता सालग्या हि. 1/3, राधेश्याम, शिवसिंह, नौरंगबाई पिता नाथू, नन्दूबाई बैवा नाथू हि. बराबर 1/12, सौरमबाई पुत्री कनीराम हि. 1/3 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	227/3	0.458	0.100	
	योग :-	1	0.458	0.100	
19	बन्शी, भैरु पिता नरभा हि. बराबर 1/2 जाति लोडा नि ग्राम भू- स्वामी	5	0.393	0.393	
	योग :-	1	0.393	0.393	
20	घीसा पिता रामलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	4	0.012	0.012	
	योग :-	1	0.012	0.012	
21	कालू फूलसिंह, करणसिंह, मोहन पिता भैरु जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	282/3/1	0.221	0.221	
		282/3/2	0.600	0.600	
	योग :-	2	0.821	0.821	
22	मदनलाल, रोडीबाई पिता शंकर, अमरा, गजशीबाई पिता भवना, मोडसिंह चैनसिंह सुजान प्रकाश पिता मांगीलाल, गुलाबबाई बैवा मांगीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	26	1.368	0.406	
	योग :-	1	1.368	0.406	
23	गीताबाई पत्नि मदनलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	28	0.267	0.267	
		29/1	0.441	0.060	
	योग :-	2	0.708	0.327	
24	बनेसिंह पिता घीसालाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	205/3	0.214	0.214	
	योग :-	1	0.214	0.214	

25	कालू पिता गणेश हि. 1/2, लक्ष्मण हजारीलाल हेमराज गुलाबसिंह जगदीश पिता पन्ना हि. बराबर 1/10 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	283/3/2	0.158	0.158	
	योग :-	1	0.158	0.158	
	कुल योग ग्राम नाईहेडा :-	44	12.144	7.636	
ग्राम :- खेमापुरा					
1	हरलाल पिता काना जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	11	0.506	0.506	
	योग :-	1	0.506	0.506	
2	भंवरलाल, मानसिंह, भेरूलाल, नारायणसिंह, सुजानसिंह, भीमा पिता मन्ना, रूक्मीबाई बेवा मन्ना, हरलाल पिता काना जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	11/1	0.494	0.494	
	योग :-	1	0.494	0.494	
3	मुकेश, ममताबाई, संतराबाई, धापूबाई, कमलीबाई, सीमाबाई पिता राधेश्याम, नोरंगबाई बेवा राधेश्याम हि. बराबर 1/12, चम्पालाल पिता देवीलाल हि. 1/12, गोपीया बापू मांगीबाई पिता धुल्या, सोनीबाई बेवा धुल्या हि. बराबर 1/6, रामा नाथिया, सरदारबाई गंगाबाई पिता भैरू हि. बराबर 1/6, अमरा चम्पाबाई घिसीबाई पिता रूपा हि. बराबर 1/6, हीराबाई पत्नि भूरा हि. 1/6, भूरीबाई पत्नि घिसा हि. 1/6 जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी,	12	0.559	0.179	
		24	0.214	0.190	
	योग :-	2	0.773	0.369	
4	गंगाराम पिता गुलजी जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	23	0.393	0.100	
	योग :-	1	0.393	0.100	
5	बापूलाल पिता गोपीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	26	0.251	0.125	
		126/57	0.583	0.195	
	योग :-	2	0.834	0.320	
6	देवीसिंह पिता धूलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	101/1/1	0.224	0.224	
	योग :-	1	0.224	0.224	
7	बंशीलाल पिता धूलीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	101/1/2	0.015	0.015	
	योग :-	1	0.015	0.015	
8	भीमा पिता श्रीलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	103/1/2	0.167	0.030	
	योग :-	1	0.167	0.030	

9	प्रभुलाल पिता देवीराम जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	103/1/3	0.166	0.056	
	योग :-	1	0.166	0.056	
10	कंकूबाई कनीराम बापू किशना रामचन्द्र पिता कनीराम, रूकमी बैवा चम्पा, रंगलाल पिता चम्पा कंदा हि. 50 पेसे , धीसालाल बन्शीलाल पिता देव्या हि. 50 पेसे जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	133/1/1	0.279	0.075	
	योग :-	1	0.279	0.075	
11	पूरीलाल पिता हरिसिंह जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	135/1/1	0.166	0.100	
	योग :-	1	0.166	0.100	
12	रमकुबाई पति मोहनलाल, रेशमबाई पति मुकेश जाति लोडा नि नाइहेडा भू-स्वामी	135/1/2	0.506	0.470	
	योग :-	1	0.506	0.470	
13	प्रभुलाल पिता धुलीलाल नि ग्राम भूस्वामी	136/1/2	0.225	0.080	
	योग :-	1	0.225	0.080	
	कुल योग ग्राम खेमापुरा :-	15	4.748	2.839	
	महायोग ग्राम नाइहेडा एवं खेमापुरा :-	59	16.892	10.475	

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 957-भू-अर्जन-2024

नरसिंहपुर, दिनांक 10 जून 2024

प्ररूप V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा0मा0 क. /अ-82/2024-25 मौजा ग्राम- पिपरहा प.ह.नं.- 10/19 नं.बं. 334 तहसील- करेली

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम पिपरहा नं.बं. 334 प.ह.नं. 10/19 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 2.229 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 2.229 हेक्टेयर है ग्राम पिपरहा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है :

ग्राम - पिपरहा तह0 करेली प.ह.नं.10/19 नं.बं. 334

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	तेजराम रामसिंह हाकम नन्हेलाल गंगाबाई सुक्कीबाई पिता कढोरी भारिया सा देह	भूमि स्वामी	20/1/1	0.338
2	रूपसिंह वल्द लालसाहब भारिया सा. देह	भूमि स्वामी	18/1, 19/1	0.139 0.089
3	दशरथ वल्द लालसाहब भारिया सा. देह	भूमि स्वामी	18/2, 19/2, 30/4	0.14 0.089 0.279
4	रामकली बेवा नर्मदा प्रसाद नेतराम सीताराम मालतीबाई पिता नर्मदा प्रसाद सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	21/2	0.062
5	हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम, भानसिंह गोदावरी रमेशीबाई राजकली पिता खीरसिंह, सतीश कुमार वल्द पीतम जाति लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	16/1	0.061
6	हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम जाति लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	16/2, 17/2	0.062 0.149
7	धनवती जोजे रज्जू सिंह लोधी सा. ठेमी (शासकीय संस्था)	भूमि स्वामी	16/8	0.302
8	भानसिंह वल्द खीरसिंह लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	17/1	0.259
9	यशोदा पटेल पति प्रकाशसिंह पटेल सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	17/3	0.060
10	तेजबल मायाबाई पिता टीकाराम लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	2	0.080
11	मुन्नालाल वल्द लाल सिंह लोधी सा. घूरपुर	भूमि स्वामी	1/3	0.120
	कुल योग			2.229

- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 1369 दिनांक 06.09.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चूंकि चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- भू अर्जन अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 868-6प्रवा-1-2024

राजगढ़, दिनांक 12 जून 2024



कार्यपालन यंत्री वास्ते मुख्य अभियंता सह क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भोपाल के पत्र क्रमांक 248 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से कस्बा खिलचीपुर में निर्माणाधीन एनएच 752-बी खिलचीपुर बायपास परियोजना में खिलचीपुर से कुण्डीबेह रोड पर रामगंजमण्डी -भोपाल बडी रेल लाईन निर्माण के क्रांसिग ब्रिज (आर.यू.बी.) का निर्माण किया जाना है, जिसके फलस्वरूप उक्त पत्र के माध्यम से खिलचीपुर-फतेहपुर- कुण्डीबेह-बरूखेडी मार्ग के आवागमन को छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित करते हुए, उक्त मार्ग के आवागमन को कुण्डीबेह-बरूखेडी- छापीहेडा नाका तक डायवर्ट किए जाने का लेख किया है।

संदर्भित पत्र के अवलोकन उपरांत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह समाधान होता है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए कस्बा खिलचीपुर में रामगंजमण्डी-भोपाल बडी रेल लाईन निर्माण के क्रांसिग ब्रिज (आर.यू.बी.) के निर्माण हेतु खिलचीपुर-फतेहपुर-कुण्डीबेह-बरूखेडी मार्ग के आवागमन को छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित करते हुए, उक्त मार्ग के आवागमन को कुण्डीबेह-बरूखेडी-छापीहेडा नाका अस्थाई रूप से परिवर्तित किया जाता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - बछामा-अ N 24°20'56.60" से N 24°21'23.45" उत्तर अक्षांश तथा E 79°33'44.01" से E 79°34'56.59" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बछामा-अ	बछामा	म.प्र. शासन वन विभाग	5 7 9 23/1 32	4.89 2.27 1.8 20.00 30.00	उत्तर- वनखण्ड 208 बछामा के मुनारा क्रमांक 60/5 से 55/7 तथा वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 24 से 19/1 के बीच की सीमा तक की वनसीमा। पूर्व - वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 19/1 से प्रस्तावित वनखण्ड में मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 33 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 33 से 34 तक की कृत्रिम सीमा एवं वनखण्ड 208 बछामा की दक्षिणी सीमा में मुनारा क्रमांक 60/5 तक। आंतरिक सीमा- उत्तर में मुनारा क्रमांक 8 से 6 तक, पूर्व में मुनारा क्रमांक 6 से 4 तक, दक्षिण में मुनारा क्रमांक 4 से 2 तक एवं पश्चिम में कृत्रिम मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक।
				योग-	58.96	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 द्वारा पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग में देने के एवज में ग्राम बछामा पटवारी हल्का नंबर 4 खसरा नंबर 5, 7, 9, 23/1, 32 के कुल रकबा 58.96 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित 58.96 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 16-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 13 जून 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th June 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bachhama-A lies between N 24°20'56.60" to N 24°21'23.45" North Latitude and E 79°33'44.01" to E 79°34'56.59" East Longitude.

SCHEDULE

District - Damoh	Tehsil. - Hatta
Forest Division - Panna Tiger Reserve	Forest Range - Madiyado

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bachhama-A	Bachhama	M.P.Govt. Forest department Govt. land	5 7 9 23/1 32	4.89 2.27 1.8 20.00 30.00	<p>North- Forest boundary between Pillar number 60/5 to 55/7 of forest block 208 Bachhama and between Pillar number 24 to 19/1 of forest block New Bachhama.</p> <p>East- Pillar number 19/1 of forest block New Bachhama and Artificial boundary of Pillar number 1 to 8 in the proposed forest block.</p> <p>South - Artificial boundary of Pillar number 8 to 33 in the proposed forest block.</p> <p>West- The artificial boundary from Pillar number 33 to 34 in the proposed forest block and up to Pillar number 60/5 in the southern border of forest block 208 Bachhama.</p> <p>Internal boundary - Pillar number are from 8 to 6, in the East, Pillar number are from 6 to 4, in the South, Munara numbers are from 4 to 2 and in the West, Munara numbers are from 2 to 8.</p>
				Total-	58.96	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with condition laid down in Ministry of Environment and Forests, Government of India, the order number 8-49/2016-FC dated 03-10-2023 in lieu of affected 6017.00 hectares of forest land Under the sanction project of Ken-Berwa Link in Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of M/s Rashtriya Jal Vikash Abhikaran Agency, village Bachhama Patwari Halka No. 4, Khasra No. 5,7,9,23/1,32 of the above mentioned 58.96 hectares of land obtained from the total area 58.96 hectares of non-forest land Due to transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by the order of No./ रा.प्र.क्र./16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 16-03-2024 Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

of giving consent for nomination.

2. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-Officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - बछामा-ब N 24°21'24.71" से N 24°21'31.13" उत्तर अक्षांश तथा E 79°34'44.92" से E 79°34'57.72" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बछामा-ब	बछामा	म.प्र. शासन वन विभाग	4	4.00	उत्तर- 208 बछामा की दक्षिणी सीमा में मुनारा क्रमांक 53/5 के बीच में वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 1 से वनखण्ड 208 बछामा के मुनारा क्रमांक 52/5 तक। पूर्व - वनखण्ड 208 बछामा के मुनारा क्रमांक 52/5 से वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 8 तक। दक्षिण- वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 8 से 2 तक। पश्चिम- वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 2 से 1 तक।
				योग-	4.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 द्वारा पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग में देने के एवज में ग्राम बछामा पटवारी हत्का नंबर 4 खसरा नंबर 4 के कुल रकवा 4.00 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित 4.00 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 16-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 13 जून 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th June 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bachhama-B lies between N 24°21'24.71" to N 24°21'31.13" North Latitude and E 79°34'44.92" to E 79°34'57.72" East Longitude.

SCHEDULE

District - Damoh
Forest Division -Panna Tiger Reserve

Tehsil. - Hatta
Forest Range - Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bachhama-B	Bachhama	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	4	4.00	<p>North- Between Munara number 53/5 in the southern border of Forest block 208 Bachhama, from Munara number 1 of Forest block new bachhama to Munara 52/5 of Forest block 208 Bachhama.</p> <p>East- From Munara number 52/5 of forest block 208 Bachhama to Munara number 8 of Forest block new Bachhama.</p> <p>South - Munara number 8 to 2 of forest block New bachhama.</p> <p>West- Munara number 2 to 1 of forest block New bachhama.</p>
				Total-	4.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with condition laid down in Ministry of Environment and Forests, Government of India, the order number 8-49/2016-FC dated 03-10-2023 in lieu of affected 6017.00 hectares of forest land Under the sanction project of Ken-Betwa Link in Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of M/s Rashtriya Jal Vikash Abhikaran Agency, village Bachhama Patwari Halka No. 4, Khasra No. 4 of the above mentioned 4.00 hectares of land obtained from the total area 4.00 hectares of non-forest land Due to transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by the order of No./रा/क्र.प्र.16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 16-03-2024 Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-Officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्रमांक /FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - बछामा-स N 24°21'30.36" से N 24°21'43.07" उत्तर अक्षांश तथा E 79°35'02.16" से E 79°35'09.28" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व

तहसील - हटा
वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.मै.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बछामा-स	बछामा	म.प्र. शासन वन विभाग	6	5.36	उत्तर- वनखण्ड 208 बछामा की पूर्वी सीमा में मुनारा क्रमांक 49/6 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 9 तक। पश्चिम- वनखण्ड नया बछामा के मुनारा क्रमांक 9 से 10 एवं वनखण्ड 208 बछामा के मुनारा क्रमांक 52/5 तक।
				योग-	5.36	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 द्वारा पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग में देने के एवज में ग्राम बछामा पटवारी हल्का नंबर 4 खसरा नंबर 6 के कुल रकवा 5.36 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित 5.36 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 16-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

- अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 13 जून 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th June 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bachhama-C lies between N 24°21'30.36" to N 24°21'43.07" North Latitude and E 79°35'02.16" to E 79°35'09.28" East Longitude.

SCHEDULE

District -	Damoh	Tehsil -	Hatta
Forest Division -	Panna Tiger Reserve	Forest Range -	Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bachhama-C	Bachhama	M.P.Govt. Forest department Govt. land	6	5.36	<p>North - Between Pillar number 49/6 of forest block 208 Bachhama to Pillar number 1 of the proposed forest block.</p> <p>East - Pillar number 1 to 8 of the proposed forest block.</p> <p>South - From Pillar number 8 of the proposed forest block to Pillar number 9 of New bachhama forest block.</p> <p>West - Pillar number 9 to 10 of forest block New bachhama and Pillar number 52/5 of forest block 208 Bachhama.</p>
				Total-	5.36	

(A) Reason for publication of Notification :-

In Accordance with condition laid down in Ministry of Environment and Forests, Government of India, the order number 8-49/2016-FC dated 03-10-2023 in lieu of affected 6017.00 hectares of forest land Under the sanction project of Ken-Betwa Link in Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of M/s Rashtriya Jal Vikash Abhikaran Agency, village Bachhama Patwari Halka No. 4, Khasra No. 6 of the above mentioned 5.36 hectares of land obtained from the total area 5.36 hectares of non-forest land Due to transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by the order of No./रा.प्र.क्र./16 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 16-03-2024 Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh arc as under:-

- 1. Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- 2. Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-Officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - कारीबरा -अ N 24°22'00.79" से N 24°22'31.58" उत्तर अक्षांश तथा E 79°39'35.26" से E 79°40'09.08" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह
वनमण्डल - पत्रा टाईगर रिजर्व

तहसील - हटा
वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कारीबरा -अ	कारीबरा	म.प्र. शासन वन विभाग	87/2	35.249	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड की कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड की कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 9 से 48 तक एवं वनखण्ड 214 कारीबरा के मुनारा क्रमांक 13/2 तक। दक्षिण- वनखण्ड 214 कारीबरा के मुनारा क्रमांक 13/2 से 14/2 तक एवं प्रस्तावित वनखण्ड की कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 49 एवं वनखण्ड 214 कारीबरा के मुनारा क्रमांक 15/2 से 17/1 तक। पश्चिम- वनखण्ड 214 कारीबरा के मुनारा क्रमांक 17/1 से प्रस्तावित वनखण्ड की कृत्रिम सीमा मुनारा क्रमांक 50 से 1 तक। आंतरिक सीमा- उत्तर में मुनारा क्रमांक 57 से 58 तक, पूर्व में मुनारा क्रमांक 58 से 61 तक, दक्षिण में मुनारा क्रमांक 61 से 65 तक एवं पश्चिम में मुनारा क्रमांक 65 से 66, 57 तक की वनसीमा।
				योग-	35.249	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 द्वारा पत्रा, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग में देने के एवज में ग्राम कारीबरा पटवारी हल्का नंबर 07 खसरा नंबर 87/2 के कुल रकवा 40.00 हेक्टेयर गैरवनभूमि में से प्राप्त उपरोक्त वर्णित 35.249 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./17 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरांवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 13 जून 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th June 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Karibara -A lies between N 24°22'00.79" to N 24°22'31.58" North Latitude and E 79°39'35.26" to E 79°40'09.08" East Longitude.

SCHEDULE

District - Damoh
Forest Division -Panna Tiger Reserve

Tehsil. - Hatta
Forest Range- Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Karibara-A	Karibara	M.P.Govt. Forest department Govt. land	87/2	35.249	<p>North- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 9.</p> <p>East- Proposed Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 to 48 and Pillar number 13/2 of Forest block 214 Karibara.</p> <p>South - Munara number 13/2 to 14/2 of Forest block 214 Karibara and Proposed Artificial Forest boundary from Pilaar no. 49 and Pillar number 15/2 to 17/1 of Forest block 214 Karibara.</p> <p>West- Pillar number 17/1 of Forest block 214 Karibara to Proposed Artificial Forest boundary from Pillar number 1.</p> <p>Internal boundary - Forest range from artificial Pillar number 57 to 58 in the North, Pillar Number 58 to 61 in the east, Pillar number 61 to 65 in the south and Pillar number 65 to 66, 57 in the west.</p>
				Total-	35.249	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with condition laid down in Ministry of Environment and Forests, Government of India, the order number 8-49/2016-FC dated 03-10-2023 in lieu of affected 6017.00 hectares of forest land Under the sanction project of Ken-Betwa Link in Panna, Chhatarpur and Tikamgarh districts of M/s Rashtriya Jal Vikash Abhikaran Agency, village Karibara Patwari Halka No. 07, Khasra No. 87/2 of the above mentioned 35.249 hectares of land obtained from the total area 40.00 hectares of non-forest land Due to transferred or muted in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by the order of No./ रा.प्र.क्र./17 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 14-03-2024 Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-Officio Dy. Secy.